

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4164

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान

4164. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

डॉ. जयंत कुमार राय:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री भोला सिंह:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत विश्व में पांचवां सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक है लेकिन प्रति व्यक्ति उपभोग के संबंध में 105वें स्थान पर है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधारों की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि अनुमानित वित्तीय हानि जीडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक है; और
- (ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : वर्ष 2019 में आईईए द्वारा प्रकाशित नवीनतम प्रमुख विश्व ऊर्जा आंकड़ों के अनुसार, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक है और वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति खपत के मामले में इसका 106वां स्थान है।

परिस्थिति में बदलाव के कारण विद्युत क्षेत्र में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। भारत विद्युत की कमी की स्थिति से विद्युत आधिक्य की स्थिति में पहुंच गया है। इस प्रकार, विद्युत क्षेत्र के सुधारों का ध्यान अब उपभोक्ताओं को 24x7 गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति करने, सेवा के उच्च मानक स्थापित करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने, जल विद्युत का विकास करने, दक्षता में सुधार करने, विशेषकर वितरण क्षेत्र में सुधार करने आदि पर संकेन्द्रित है। इस संबंध में, वितरण स्कीम से जुड़े सुधारों और टैरिफ नीति में बदलाव कुछ ऐसे उपाय हैं जो विचाराधीन हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4186

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत में व्यापार

4186. श्री जसबीर सिंह गिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ विद्युत के क्षेत्र में व्यापारिक संबंध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) सरकार ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के बीच विद्युत संपर्क में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं;
- (ग) क्या नेपाल और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच व्यापार करने के लिए भारतीय ट्रांसमिशन ग्रिड का उपयोग करते हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच एक मजबूत विद्युत व्यापार से सरकार को क्या लाभ होने की आशा है; और
- (ङ) क्या भारत ने यह यूरोपीय संघ में क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों के एकीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखा है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी, हां। वर्तमान में, भारत नेपाल, बांग्लादेश तथा म्यांमार को विद्युत का निर्यात करता है जबकि भारत भूटान से विद्युत आयात करता है। तथापि, कभी-कभी जल की कमी के मौसम के दौरान भारत, भूटान को विद्युत का निर्यात भी करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 (जनवरी, 2020 तक) के दौरान, इन देशों से/में विद्युत का आयात/निर्यात इस प्रकार है:-

क्र.सं.	देश	आयात (मिलियन यूनिट में)	निर्यात (मिलियन यूनिट में)
1.	नेपाल	---	1839.25
2.	भूटान	6165.78	---
3.	बांग्लादेश	---	6168.14
4.	म्यांमार	---	7.34

(ख) : भारत ने भूटान, बांग्लादेश, नेपाल तथा म्यांमार के साथ अन्य बातों के साथ-साथ, इन पड़ोसी देशों के साथ बिजली संपर्क सुधारने के लिए समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विद्युत मंत्रालय ने बिजली के सीमा पार व्यापार पर दिनांक 05.12.2016 को दिशानिर्देश जारी किए थे, जिन्हें बाद में पड़ोसी देशों के साथ विद्युत के सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 18.12.2018 को जारी किए गए "विद्युत के आयात/निर्यात (सीमा पार) के लिए दिशानिर्देश-2018" के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 8 मार्च, 2019 को सीईआरसी (विद्युत का सीमा पार व्यापार) विनियम, 2019 जारी की। इसके अतिरिक्त, पड़ोसी देशों के साथ विद्युत की कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए, निम्नलिखित अंतर संबंध कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:-

- (i) मुजफ्फरपुर (भारत) के 400 केवी आपरेशन-ढालकेबर (नेपाल) 400 केवी डी/सी लाइन (220 केवी पर सम्मिलित)।
- (ii) बहरामपुर (भारत)-भेड़ामाड़ा (बांग्लादेश) दूसरी 400 केवी डी/सी लाइन।
- (iii) अलीपुरद्वार (भारत)- जिगमेलिंग (भूटान) 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन।
- (iv) गोरखपुर (भारत)- न्यू बुटवल (नेपाल) 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन।
- (v) सीतामढ़ी (भारत)- ढालकेबर (नेपाल)-अरुण-3 एचईपी (नेपाल) 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन।

(ग) : जी, नहीं। नेपाल तथा बांग्लादेश दोनों देशों के बीच विद्युत के व्यापार के लिए भारतीय पारेषण ग्रिड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

(घ) : पड़ोसी देशों के साथ विद्युत के आयात/निर्यात के लिए व्यापारिक व्यवस्था, जिसमें नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश शामिल हैं, संबंधित देशों में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने तथा विद्युत में स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे जिसके फलस्वरूप क्षेत्र में बृहत पैमाने पर ऊर्जा सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा।

(ङ.) : भारत में पहले ही उच्च वोल्टेज तुल्यकालिक (वैकल्पिक करंट) तथा अतुल्यकालिक (उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट) कनेक्शनों के माध्यम से बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल के साथ क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली एकीकरण है। विकसित देशों के श्रेष्ठ व्यवहारों से सीखते हुए, स्टेटकॉम, एचवीडीसी प्रणाली पर आधारित वोल्टेज सोर्स कनवर्टर इत्यादि जैसी नवीन तकनीकों को क्षेत्रीय पड़ोसी देशों के बीच विश्वास के साथ विद्युत अंतरण को सुगम बनाने के लिए सुधार के निरंतर उपाय के रूप में भारतीय ग्रिड में परिनियोजित किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4195

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत ग्रिड की खराब स्थिति

4195. श्री चंद्र शेखर साहू:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा संचालित विद्युत ग्रिडें खराब स्थिति में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत की पुरानी विद्युत ग्रिडों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारत की विद्युत ग्रिडों की खराब परिचालन स्थिति पूरी तरह से मूल्यवत्ता धारण के कारण नहीं है, अपितु बड़े पैमाने पर चोरी, खराब उपकरणों और उच्च लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा की शुरुआत ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इसका समाधान खोजने के लिए राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी, नहीं। भारत का पावर ग्रिड खराब स्थिति में नहीं है। सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 में विनिर्दिष्ट क्रमशः 98% और 95% नियामक वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (एनएटीएएफ) की तुलना में पावर ग्रिड की वर्ष 2019-20 (जनवरी 2020 तक) के लिए ए सी और एचवीडीसी पारेषण प्रणालियों की उपलब्धता 99.81% और 98.51% है।

(ख) : भारत ने एक मजबूत राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना की है जो वन नेशन-वन ग्रिड-वन फ्रिक्वेंसी की ओर अग्रसर है और किसी भी पारेषण बाधा के बिना इसने संसाधन संपन्न क्षेत्रों से लोड केन्द्रों तक विद्युत का निर्बाध अंतरण सुनिश्चित किया है। दिनांक 31 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के पास 4,23,001 सीकेएम पारेषण लाइनें हैं और सब-स्टेशनों में 9,60,453 एमवीए (220 केवी वोल्टेज स्तर और

उससे अधिक) की पारेषण क्षमता उपलब्ध है। विद्युत मांग और उत्पादन के आधार पर, पारेषण प्रणाली का विकास और आधुनिकीकरण एक सतत और विकसित प्रक्रिया है। वर्तमान में, देश में पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण हेतु विद्युत मंत्रालय निम्नलिखित केन्द्रीय स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:-

- (i) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण के सुदृढीकरण हेतु व्यापक स्कीम।
- (ii) अंतर राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणाली (33 केवी और अधिक) के सुदृढीकरण हेतु छह (6) पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैण्ड) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी)।
- (iii) इन संघ राज्य क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण ग्रिडों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के भाग के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की शेड्यूलिंग, पूर्वानुमान और निगरानी से सुगमीकरण के लिए 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना, जिससे ग्रिड स्थिरता में सुधार लाया जा सकेगा।

(ग) और (घ) : पारेषण प्रणाली में अंतर राज्यीय और अंतःराज्यीय घटक शामिल हैं। अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा बनाई गई है जबकि अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा बनाई गई है। अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली का प्रदर्शन अनियंत्रित चोरी या विकृत उपकरण या नवीकरणीय ऊर्जा लागत से प्रभावित नहीं होता है। नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों से नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन के विकास हेतु समर्पित हरित ऊर्जा कोरिडोर की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के एकीकरण हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय कर लिए गए हैं, ताकि ग्रिड की स्थिरता और सुरक्षा में कोई चूक ना हो। भाग (ख) में उल्लिखित उत्तर के अनुसार, केन्द्रीय सरकार बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्यों को अपने अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली के उन्नयन हेतु सहायता भी प्रदान करती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4202

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

प्रत्याशित विद्युत भार

4202. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 0'सौभाग्य' योजना के पूरा होने के बाद बिजली की अत्यधिक मांग की समयावधि के दौरान प्रत्याशित विद्युत भार का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या प्रत्याशित क्षमता भार की पूर्ति के लिए ग्रिड क्षमता पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विद्युत उत्पादन और ग्रिड-क्षमता तदनुसार बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) देश में विद्युत की मांग का आकलन करने के लिए प्रत्येक पांच वर्षों में विद्युत पावर सर्वे (ईपीएस) करवाता है। वर्ष 2018-19 से 2026-27 के लिए, 19वें ईपीएस (जनवरी, 2017 में प्रकाशित) द्वारा प्रस्तुत की गई राज्य-वार मांग अनुबंध में दी गई है। सौभाग्य योजना के कारण मांग में वृद्धि के प्रभाव को भी इस आकलन में माना गया है।

(ख) तथा (ग) : मार्च, 2018 में प्रकाशित, राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत विद्युत मांग को पूरा करने के लिए, संभावित संस्थापित क्षमता 4,79,418 मेगावाट तथा 2026-27 में 6,19,066 मेगावाट है। देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए, विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

- (i) देश में ताप एवं जल विद्युत संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं;
- (ii) 1,700 मेगावाट क्षमता की न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाएं आयोजना के अग्रिम चरण में हैं; और

(iii) सरकार का सौर, पवन, बायोमास और लघु जल विद्युत सहित नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य है; जिसमें से 86,759 मेगावाट क्षमता संस्थापित की जा चुकी है और 33,720 मेगावाट संस्थापना के अधीन है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (खण्ड 11: पारेषण) के भाग के रूप में वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए देश में अतिरिक्त पारेषण व्यवस्था की आवश्यकता का आकलन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना (खण्ड 11: पारेषण) के अनुसार, लगभग 1,10,000 सीकेएम की पारेषण लाइनों तथा उपकेन्द्रों (220 केवी तथा अधिक वोल्टेज स्तर) में वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान लगभग 3,83,000 एमवीए जोड़े जाने की आवश्यकता होगी। इसमें से, अप्रैल 2017 से फरवरी 2020 के दौरान 55,782 सीकेएम तथा 2,21,658 एमवीए को विद्युत ग्रिड में जोड़ा गया है।

इस आकलित उत्पादन संस्थापित क्षमता तथा अतिरिक्त पारेषण व्यवस्था के साथ, 19वें विद्युत शक्ति सर्वे (ईपीएस) के अनुसार प्रस्तुत की गई विद्युत मांग को पूर्ण रूप से पूरा किए जाने की संभावना है।

लोकसभा में 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं. 4202 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2026-27 के लिए 19वें ईपीएस (जनवरी, 2017 में प्रकाशित) में यथा प्रक्षेपित राज्य-वार मांग

19वें इलेक्ट्रिक पॉवर सर्वे का पूर्वानुमान

अखिल भारतीय एवं राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार

इलेक्ट्रिक ऊर्जा की आवश्यकता (एमयू) (एक्स बस)

(केवल यूटिलिटियां)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
दिल्ली	34201	35380	36573	37778	38997	40224	41557	42904	44267
हरियाणा	54062	57083	60336	63618	66747	70333	75110	80239	85743
हिमाचल प्रदेश	10523	10949	11394	11866	12360	12876	13417	13983	14576
जम्मू और कश्मीर	16283	17109	18017	18819	19963	21161	22433	23795	25254
पंजाब	61076	64730	68502	72392	76826	81369	86027	90789	95658
राजस्थान	79485	83168	87051	91216	95782	101200	108808	117219	126290
उत्तर प्रदेश	123951	132476	141426	150797	159412	167731	176477	185674	195323
उत्तराखंड	15880	17007	18181	19406	20687	22029	23438	24920	26480
चंडीगढ़	2070	2145	2223	2304	2388	2475	2566	2659	2756
उत्तरी क्षेत्र	397530	420047	443704	468196	493162	519399	549833	582182	616345
गोवा	4802	5068	5332	5593	5855	6120	6389	6660	6932
गुजरात	113187	120693	128368	136159	144186	152475	160989	169732	178693
छत्तीसगढ़	31383	33463	35559	37840	40155	42661	45315	48146	51088
मध्य प्रदेश	81732	88022	94301	99871	104772	109727	114765	120027	125394
महाराष्ट्र	161926	171313	180338	189983	200288	211307	223171	235949	249628
दादर व नगर हवेली	7653	8210	8775	9343	9920	10513	11120	11741	12373
दमन और दीव	2327	2449	2577	2712	2855	3006	3166	3337	3517
पश्चिमी क्षेत्र	403010	429217	455250	481501	508032	535810	564915	595591	627624
आंध्र प्रदेश	63290	68034	73090	78540	84429	90794	97181	104072	111485
तेलंगाना	67680	75164	80700	84603	88130	91836	95776	99945	104345
कर्नाटक	73636	77532	81622	85932	90381	95042	99916	105017	110368
केरल	27184	28535	29924	31371	32861	34393	35964	37582	39357
तमिलनाडु	117505	123724	130189	136643	144145	152357	161349	170822	180989
पुडुचेरी	3254	3387	3521	3664	3809	3959	4114	4279	4448
दक्षिणी क्षेत्र	352549	376376	399047	420753	443754	468380	494301	521717	550992
बिहार	28637	31017	35152	38416	41208	43926	46735	50717	54363
झारखंड	25880	27488	29052	30649	32209	33850	35544	37354	39252
ओडिशा	29124	30302	31224	32164	33172	34163	35219	36326	37453
पश्चिम बंगाल	61485	63979	66634	69361	72222	75264	78463	81915	85590
सिक्किम	548	577	607	638	669	702	737	773	810
पूर्वी क्षेत्र	145674	153363	162669	171228	179480	187906	196698	207085	217468
असम	10831	11894	12959	14051	15164	16355	17631	18998	20462
मणिपुर	1592	1769	1925	2103	2300	2515	2760	3020	3300
मेघालय	2242	2378	2470	2566	2667	2771	2900	3036	3177
नगालैंड	930	992	1059	1129	1200	1275	1356	1441	1524
त्रिपुरा	1394	1456	1525	1595	1661	1731	1796	1866	1930
अरुणाचल प्रदेश	1089	1210	1345	1498	1669	1863	2081	2326	2601
मिजोरम	681	737	799	866	937	1013	1095	1181	1307
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	18758	20437	22083	23809	25598	27523	29619	31869	34301
अंडमान और निकोबार	385	414	446	475	504	535	566	598	632
लक्षद्वीप	55	57	59	62	64	66	68	70	73
अखिल भारतीय	1317962	1399913	1483257	1566023	1650594	1739618	1836001	1939111	2047434

19वें इलेक्ट्रिक पॉवर सर्वे का पूर्वानुमान
अखिल भारतीय एवं राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार
व्यस्ततम विद्युत मांग (मेगावाट) (एक्स बस)
(केवल यूटिलिटियां)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
दिल्ली	6764	6997	7233	7471	7712	7954	8217	8482	8751
हरियाणा	10397	10975	11596	12222	12819	13501	14415	15398	16451
हिमाचल प्रदेश	1683	1751	1822	1898	1977	2059	2146	2236	2331
जम्मू और कश्मीर	2565	2733	2920	3095	3332	3585	3859	4157	4482
पंजाब	12914	13559	14216	14886	15654	16431	17217	18009	18809
राजस्थान	12540	13133	13761	14435	15176	16048	17282	18651	20131
उत्तर प्रदेश	18821	20334	21948	23664	25331	26658	28053	29522	31064
उत्तराखंड	2536	2739	2953	3180	3420	3675	3945	4232	4538
चंडीगढ़	441	457	474	491	509	527	546	566	587
उत्तरी क्षेत्र	62279	65919	69766	73770	77929	82017	86776	91835	97182
गोवा	721	767	813	858	904	951	999	1047	1096
गुजरात	17734	18937	20172	21429	22730	24079	25471	26908	28387
छत्तीसगढ़	5080	5442	5809	6208	6613	7050	7513	8006	8518
मध्य प्रदेश	12829	13816	14802	15676	16445	17223	18014	18840	19682
महाराष्ट्र	23953	25544	27148	28866	30725	32717	34911	37269	39828
दादर व नगर हवेली	1026	1112	1201	1291	1385	1483	1584	1689	1798
दमन और दीव	366	385	405	426	449	473	498	525	553
पश्चिमी क्षेत्र	58654	62728	66847	71020	75275	79748	84502	89528	94825
आंध्र प्रदेश	9544	10259	11021	11843	12731	13690	14656	15698	16820
तेलंगाना	11262	12712	13757	14499	15338	16086	16885	17738	18653
कर्नाटक	12169	12834	13534	14271	15033	15834	16674	17554	18481
केरल	4561	4788	5021	5263	5513	5770	6034	6305	6603
तमिलनाडु	17230	18213	19240	20273	21471	22784	24225	25750	27392
पुडुचेरी	518	539	561	583	606	630	655	681	708
दक्षिणी क्षेत्र	52171	56007	59581	62975	66710	70579	74666	79002	83652
बिहार	4904	5308	6016	6576	7054	7521	8003	8681	9308
झारखंड	4378	4656	4915	5193	5450	5733	6013	6326	6626
ओडिशा	4816	5016	5176	5340	5517	5691	5878	6073	6273
पश्चिम बंगाल	11267	11724	12191	12688	13318	13873	14435	15065	15680
सिक्किम	146	154	162	170	179	187	197	206	216
पूर्वी क्षेत्र	23868	25130	26633	28046	29500	30895	32319	34031	35674
असम	2091	2297	2502	2713	2979	3271	3590	3868	4166
मणिपुर	303	339	372	410	453	499	553	611	667
मेघालय	427	453	470	488	508	528	552	578	605
नगालैंड	191	204	219	234	250	266	284	303	322
त्रिपुरा	333	351	371	391	411	432	452	474	495
अरुणाचल प्रदेश	202	224	249	278	309	345	386	431	482
मिजोरम	137	148	159	171	185	199	213	229	252
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	3537	3856	4170	4499	4891	5319	5790	6235	6710
अंडमान और निकोबार	78	84	91	97	103	109	115	122	129
लक्षद्वीप	10	11	11	11	12	12	13	13	13
अखिल भारतीय	188360	200696	213244	225751	238899	252288	266844	282418	298774

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4206

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

ऊर्जा के क्षेत्र में बाहरी सहायता

4206. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में ब्रिटेन से सहायता लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने "ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग" पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड सरकार के साथ दिनांक 11 नवंबर, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अभिनिर्धारित किए गए आपसी सहयोग के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- (i) बाजार सुधार, विनियामक संरचनाएं तथा विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण में प्रतिस्पर्धा की भूमिका जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा लगाने के लिए विनियम और प्रोत्साहन शामिल हैं;
- (ii) नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड में एकीकरण;
- (iii) औद्योगिक ऊर्जा दक्षता तथा वाहन ईंधन दक्षता सहित ऊर्जा दक्षता नीतियां एवं अनुप्रयोग;
- (iv) अप-तटीय पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा;
- (v) स्मार्ट ग्रिड;
- (vi) ऊर्जा भंडारण तथा नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकियां;
- (vii) नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों का क्षमता निर्माण;

- (viii) अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा सेवाएं;
- (ix) ज्वार-भाटा ऊर्जा;
- (x) प्रतिभागियों द्वारा लिखित में अनुमोदित सहयोग का कोई अन्य क्षेत्र।

इस समझौता जापान के अंतर्गत निम्नलिखित सहयोग के रूप शामिल होंगे परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे:-

- (i) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान
- (ii) सहमत विषयों पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा अन्य बैठकों के आयोजन के माध्यम से बातचीत को सुगम बनाना;
- (iii) सरकारी, औद्योगिक तथा अन्य गैर-सरकारी क्षेत्रों सहित नीति, तकनीकी एवं शैक्षिक विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और अनुसंधान एवं विकास सहित विशेषज्ञ संस्थानों एवं संगठनों के बीच संपर्क एवं सहयोग को सुविधा प्रदान करना ।
- (iv) उद्योग निकायों, निगमों तथा व्यापार के बीच व्यापारिक संपर्क का सुगमीकरण;
- (v) यूनाइटेड किंगडम द्वारा आरम्भ की गई संबद्ध परियोजनाओं के माध्यम से, जहाँ कहीं इन परियोजनाओं को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुए हों, तकनीकी सहायता तथा अन्य सहायता का प्रावधान । समय-समय पर, जैसा उचित हो, परियोजना- विशिष्ट समझौते भी किए जा सकते हैं।
- (vi) विशिष्ट क्षेत्रों/परियोजनाओं की पहचान करना जिनका भविष्य में अन्वेषण एवं विकास किया जा सकता है;
- (vii) प्रतिभागियों द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किसी अन्य सहयोग का कोई अन्य रूप।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4212

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन की लागत

4212. एडवोकेट अजय भट्ट:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के उत्पादन लागत और विद्युत प्रशुल्क में भारी अंतर है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट बिजली उत्पादन लागत और विद्युत प्रशुल्क के इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग): जी, हां। विद्युत उत्पादन की लागत के साथ-साथ, अंतिम उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के टैरिफ में पारेषण प्रभार, पारेषण हानियां, वितरण नेटवर्क प्रभार, वितरण हानियां और वाणिज्यिक हानियां, क्रॉस सब्सिडी अधिकार, वित्तीय लागत और अन्य प्रशासनिक व्यय आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार, विद्युत उत्पादन की लागत और उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत की खुदरा टैरिफ के बीच अंतर होता है।

केन्द्र सरकार डिस्कॉमों से विद्युत वितरण में हानियों को कम करने, मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण में कार्यकुशलता बढ़ाने और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) जैसी योजनाओं के माध्यम से वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं सीधे लाभ अंतरण आदि के माध्यम से सब्सिडी देने हेतु कदम उठाने के लिए अनुरोध कर रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4214

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

प्रत्येक घर को बिजली

4214. श्री संतोष पान्डेय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा तय की गई है;
- (ग) 31 दिसंबर, 2019 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जिले-वार कितने परिवारों को बिजली प्रदान की गई है;
- (घ) 31 दिसंबर, 2019 तक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और कबीरधाम में कुल कितने घरों में बिजली प्रदान की गई है और कितने पंजीकृत घरों में बिजली नहीं है; और
- (ङ) सौभाग्य योजना के तहत 31 दिसंबर, 2019 तक छत्तीसगढ़ को आवंटित और स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक अंतिम छोर कनेक्टिविटी और देश भर के ग्रामीण क्षेत्र में सभी इच्छुक घरों को और शहरी क्षेत्रों में सभी निर्धन घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान कर सार्वभौमिक घरों का विद्युतीकरण हासिल करने के लिए अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की।

(ग): राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत से 31.12.2019 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 7,45,647 घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ): छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य की शुरुआत से 31.12.2019 तक राजनांदगांव जिले में कुल 24,706 घरों और कबीरधाम जिले में 28,609 घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है और कोई भी घर गैर-विद्युतीकृत नहीं है।

(ङ): सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य को अग्रिम आबंटन नहीं किया जाता है। निधियां संस्वीकृत परियोजनाओं को पिछली किस्त (किस्तों) के उपयोग की रिपोर्ट और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किस्तों में जारी की जाती हैं। स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 648 करोड़ रुपये

की परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं और 31.12.2019 तक अनुदान के रूप में 248 करोड़ रुपये समवितरित किए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण की सहायता के लिए, अतिरिक्त अवसंरचना हेतु 31.12.2019 तक 83.64 करोड़ रुपये की परियोजनाएं भी संस्वीकृत की हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4214 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

छत्तीसगढ़ राज्य में 11.10.2017 से 31.12.2019 के दौरान ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण का जिला-वार ब्यौरा

	जिला	ग्रामीण घरों की संख्या
1	बालोद	16110
2	बलौदा बाजर	38609
3	बलरामपुर	45204
4	बस्तर	57969
5	बेमेतरा	30758
6	बीजापुर	24152
7	बिलासपुर	47672
8	दंतेवाड़ा	27686
9	धमतरी	6027
10	दुर्ग	12893
11	गरियाबंध	32313
12	जांजगीर - चंपा	24068
13	जशपुर	56839
14	कबीरधाम	28198
15	कांकेर	23431
16	कौंडागांव	19506
17	कोरबा	26098
18	कोरिया	23828
19	महासमुंद	8745
20	मुंगेली	25163
21	नारायणपुर	10810
22	रायगढ़	22952
23	रायपुर	11461
24	राजनंदगांव	24565
25	सुकमा	20136
26	सूरजपुर	35946
27	सरगुजा	44508
	कुल	745647

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4262

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

फलाई ऐश ईट संयंत्र

4262. श्री मनोज तिवारी:

श्री रेबती त्रिपुरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में एनटीपीसी संयंत्रों के आसपास फलाई ऐश ईट संयंत्र लगाने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर में और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) कार्यान्वयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और निकट भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एमओईएफएंडसीसी द्वारा अधिसूचित दिनांक 25 जनवरी 2016 की संशोधित अधिसूचना के पैरा 2(ख), उप पैरा (11) और (12) में कहा गया है कि:

उप पैरा (11): कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को अपने परिसरों में या परिसरों के आसपास राख आधारित उत्पाद विनिर्माण सुविधाओं को संस्थापित करने, उसे अपनाने और बढ़ावा देने का कार्य करना चाहिए ताकि राख की ढुलाई को कम किया जा सके।

उप पैरा (12): शहरों के आसपास कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को राख आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयों को शुरू करने में बढ़ावा, सहायता या समर्थन देना चाहिए जिससे ईट तथा अन्य भवन विनिर्माण सामग्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इसकी ढुलाई को कम किया जा सके।

फलाई ऐश ईटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके राख उपयोगिता नीति के अनुसार मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने सभी कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों, जिसमें दिल्ली एनसीआर में स्थित स्टेशन शामिल हैं, में फलाई ऐश ईट संयंत्रों की संस्थापना की है। एनटीपीसी संयंत्रों में विनिर्मित फलाई ऐश ईटें विशेष रूप से संस्थापित विनिर्माण गतिविधियों के उपयोग के लिए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4263

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

बिजली उत्पादन

4263. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल बिजली उत्पादन में पनबिजली परियोजनाओं का कितना हिस्सा है;

(ख) प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी राज्य-वार क्षमता और वास्तविक विद्युत उत्पादन कितना है;

(ग) क्या जल-विद्युत परियोजनाओं की क्षमता और उपयोग का कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुमोदन के लिए लंबित नई पनबिजली परियोजनाओं के प्रस्तावों की संख्या कितनी है और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आरंभ की जाने वाली पनबिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क): चालू वर्ष के दौरान फरवरी, 2020 तक देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) से उत्पादन की भागीदारी (%) 11.49 प्रतिशत है।

(ख): गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (फरवरी, 2020 तक) के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं और 25 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग): जी, नहीं। तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं का क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) वर्ष के दौरान बरसात एवं हिमपात, तलछट के कारण अवरूढ़ होने, नियोजित एवं अनिवार्य कटौतियों आदि के कारण प्रचालनात्मक बाधाओं जैसे कारकों पर निर्भर करता है। जलाशय वाली रन-ऑफ-द-रिवर जल विद्युत

परियोजनाओं के मामले में सीयूएफ लगभग 45 प्रतिशत है जबकि भंडारण आधारित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए यह लगभग 32-35 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 के लिए जल विद्युत परियोजना में (25 मेगावाट से अधिक) का समग्र सीयूएफ लगभग 34 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के लिए सीयूएफ का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): वर्तमान में 1116 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं की 5 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहमति के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/केंद्रीय जल आयोग/भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण/केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन और जल शक्ति मंत्रालय (पूर्व में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय) में जांच के अधीन है। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	स्कीम	निष्पादनकर्ता एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
उत्तराखंड			
1.	बोवला नंद प्रयाग	उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड	300
2.	गौरीगंगा-IIIए	नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन	150
जम्मू व कश्मीर			
3.	किरथाई-I	जम्मू व कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम	390
हिमाचल प्रदेश			
4.	थाना पलाऊं	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड .	191
मेघालय			
5.	वाह-उमियाम स्टेज-III	नोर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	85
कुल (मेगावाट)			1116

(ङ): वर्तमान में देश में कुल 12973.5 मेगावाट की 38 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4263 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/स्टेशन-वार उत्पादन

स्टेशन का नाम	29.02.2020 की स्थिति के दौरान निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)			
		2019-20 (फरवरी, 2020 तक) *	2018-19	2017-18	2016-17
उत्तरी क्षेत्र					
हिमाचल प्रदेश					
अलियन दुहांगन एचपीएस	192.00	745.46	582.23	683.01	679.12
बैरासिउल एचपीएस	180.00	284.03	366.67	641.73	669.33
बासपा एचपीएस	300.00	1324.14	1275.58	1336.65	1342.75
बस्सी एचपीएस	66.00	312.15	251.56	315.17	297.76
भाखड़ा एचपीएस				5134.02	5168.27
भाखड़ा लेफ्ट एचपीएस	594.00	2566.37	2248.69		
भाखड़ा राइट एचपीएस	785.00	3256.92	1989.50		
बुधहिल एचपीएस	70.00	275.27	288.08	317.63	261.25
चमेरा-I एचपीएस	540.00	2485.03	2484.56	2344.08	2224.39
चमेरा-II एचपीएस	300.00	1173.83	1508.02	1487.11	1443.93
चमेरा-III एचपीएस	231.00	1010.14	1043.42	1068.05	917.09
चंजू-I एचपीएस	36.00	161.55	137.44	79.42	11.29
देहार एचपीएस	990.00	3217.13	3226.30	3086.24	3184.68
गिरी बाटा एचपीएस	60.00	205.78	214.45	169.94	140.60
करछम वांगटू एचपीएस	1000.00	4524.56	3968.69	4569.93	4372.29
कशांग इटीग्रेटेड एचईपी	195.00	189.16	118.24	197.13	56.09
कोलडैम	800.00	3338.93	3013.93	3313.62	3225.16
लारजी एचपीएस	126.00	640.67	593.86	612.36	611.66
मलाना एचपीएस	86.00	360.56	320.55	346.29	353.79
मलाना-II एचपीएस	100.00	396.75	349.39	368.89	366.54
नाथपा झाकड़ी एचपीएस	1500.00	7217.71	6507.15	7207.73	7050.64
पार्वती-II एचपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	
पार्वती-III एचपीएस	520.00	674.96	608.30	710.53	682.48
पोंग एचपीएस	396.00	1290.77	1512.56	1641.57	1369.93
रामपुर एचपीएस	412.02	2030.99	1828.76	2015.00	1960.42
सैंज एचपीएस	100.00	329.82	408.81	134.99	0.00
संजय एचपीएस	120.00	575.89	589.42	493.39	187.40
सावरा कुड्डू एचपीएस	0.00	0.00			
शानन एचपीएस	110.00	535.03	472.39	508.52	472.88
सोरांग एचपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टिडोंग एचपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	
उहल-III एचपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश कुल	9809.02	39123.60	35908.55	38783.00	37049.74
जम्मू व कश्मीर					
बगलीहार एचपीएस	450.00	2394.62	2291.15	2506.71	2184.56
बगलीहार-II एचपीएस	450.00	1909.97	1857.91	1821.95	1758.98
चूटक एचपीएस**	44.00	94.48	48.96	45.72	44.12
दुलहस्ती एचपीएस	390.00	1962.96	2273.38	2343.86	2280.02
किशनगंगा एचपीएस	330.00	820.38	529.25	1.68	0.00
लोअर झेलम एचपीएस	105.00	501.27	589.33	480.99	483.15
निम्मो बाजगो एचपीएस**	45.00	156.96	105.55	98.83	95.21

सलाल एचपीएस	690.00	3755.90	3412.55	3247.09	3423.09
सेवा-II एचपीएस	120.00	560.43	498.32	506.39	470.61
अपर सिंध-II एचपीएस	105.00	216.45	305.97	327.24	362.91
उरी-I एचपीएस	480.00	3049.52	3048.29	2349.66	2803.10
उरी-II एचपीएस	240.00	1613.77	1580.92	1207.44	1471.94
जम्मू व कश्मीर कुल	3449.00	17036.71	16541.58	14937.56	15377.69
पंजाब					
आनंदपुर साहिब एचपीएस				647.81	673.87
आनंदपुर साहिब-I एचपीएस	67.00	297.90	390.79		
आनंदपुर साहिब-II एचपीएस	67.00	294.00	36.99		
गंगुवाल एचपीएस	77.65	563.75	599.37	494.09	416.54
कोटला एचपीएस	77.65	570.61	609.60	508.22	430.58
मुकेरियां एचपीएस				1270.76	1083.51
मुकेरियां-I एचपीएस	45.00	921.02	1175.44		
मुकेरियां-II एचपीएस	45.00	43.75	19.20		
मुकेरियां-III एचपीएस	58.50	55.21	24.66		
मुकेरियां-IV एचपीएस	58.50	54.44	24.83		
रंजीत सागर एचपीएस	600.00	1993.71	1454.52	1803.42	1306.08
पंजाब कुल	1096.30	4794.39	4335.40	4724.30	3910.58
राजस्थान					
जवाहर सागर एचपीएस	99.00	278.75	247.00	261.10	307.55
माही बजाज एचपीएस				180.17	209.66
माही बजाज-I एचपीएस	50.00	153.40	99.76		
माही बजाज-II एचपीएस	90.00	54.38	17.32		
आर.पी. सागर एचपीएस	172.00	54.53	334.32	378.26	448.78
राजस्थान कुल	411.00	541.06	698.40	819.53	965.99
उत्तर प्रदेश					
खारा एचपीएस	72.00	320.33	286.14	259.14	268.93
माताटीला एचपीएस	30.60	63.00	97.48	93.81	122.68
ओबरा टीपीएस	99.00	173.12	231.03	299.96	216.71
रिहंद एचपीएस	300.00	414.45	561.71	833.78	567.24
उत्तर प्रदेश कुल	501.60	970.90	1176.36	1486.69	1175.56
उत्तराखंड					
छिन्नो (यमुना) एचपीएस	240.00	897.34	809.53	783.57	714.00
चीला एचपीएस	144.00	725.06	632.41	811.66	769.35
धकरानी एचपीएस	33.75	157.75	147.48	129.68	120.19
धालीपुर एचपीएस	51.00	204.95	219.99	186.71	180.40
धौलीगंगा एचपीएस	280.00	1286.80	1106.21	1153.16	956.13
खटीमा एचपीएस	41.40	218.59	232.25	212.60	180.14
खोदरी एचपीएस	120.00	399.34	369.68	355.75	333.29
कोटेश्वर एचपीएस	400.00	1105.46	1223.84	1220.33	1224.55
कुलहल एचपीएस	30.00	140.77	146.55	123.97	122.20
मनेरीभाली-I एचपीएस	90.00	335.47	430.40	394.77	349.22
मनेरीभाली-II एचपीएस	304.00	1317.40	1302.34	1276.65	1251.71
रामगंगा एचपीएस	198.00	142.93	188.14	250.64	180.94
श्रीनगर एचपीएस	330.00	1480.70	1375.31	1382.54	1280.75
टनकपुर एचपीएस	94.20	527.10	452.89	459.74	430.29
टिहरी स्टे.-1 एचपीएस	1000.00	2809.49	3172.08	3080.94	3146.32
विष्णुप्रयाग एचपीएस	400.00	1954.52	1932.02	2160.90	2042.05
उत्तराखंड कुल	3756.35	13703.67	13741.12	13983.61	13281.53
उत्तरी क्षेत्र कुल	19023.27	76170.33	72401.41	74734.69	71761.09
पश्चिमी क्षेत्र					
छत्तीसगढ़					
हसदियोबांगो एचपीएस	120.00	226.14	243.08	178.07	153.76
छत्तीसगढ़ कुल	120.00	226.14	243.08	178.07	153.76
गुजरात					

कदाना एचपीएस	240.00	447.20	237.39	308.92	339.01
एस सरोवर सीएचपीएच एचपीएस	250.00	839.80	594.84	562.86	876.34
एस सरोवर आरबीपीएच एचपीएस	1200.00	3093.16	0.00	376.61	2332.87
उकई एचपीएस	300.00	715.82	210.58	303.53	395.66
गुजरात कुल	1990.00	5095.98	1042.81	1551.92	3943.88
मध्य प्रदेश					
बानसागर टोन्स-I एचपीएस	315.00	1160.33	578.35	545.37	1239.02
बानसागर-II एचपीएस	30.00	84.55	37.09	56.12	109.73
बानसागर-III एचपीएस	60.00	138.90	85.32	68.80	53.48
बारगी एचपीएस	90.00	345.02	356.19	159.05	445.47
गंधी सागर एचपीएस	115.00	33.81	249.88	351.38	351.00
इंदिरा सागर एचपीएस	1000.00	2643.92	1308.79	881.76	3320.79
मधिखेड़ा एचपीएस	60.00	128.79	88.99	22.52	147.21
महेश्वर एचपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओंकारेश्वर एचपीएस	520.00	1177.54	612.04	443.60	1427.70
राजघाट एचपीएस	45.00	82.72	80.02	58.21	62.26
मध्य प्रदेश कुल	2235.00	5795.58	3396.67	2586.81	7156.66
महाराष्ट्र					
भंडारधारा एचपीएस स्टे.-II	34.00	15.85	56.44	42.55	47.12
भीरा एचपीएस	150.00	328.79	351.02	341.17	379.14
भीरा पीएसएस एचपीएस	150.00	467.26	558.77	551.13	572.49
भीरा टेल रेस एचपीएस	80.00	90.06	94.57	97.15	101.58
भिवपुरी एचपीएस	75.00	298.45	315.90	307.20	206.59
घाटघर पीएसएस एचपीएस	250.00	135.33	192.98	152.83	383.87
खोपोली एचपीएस	72.00	310.43	342.49	316.38	307.24
कोयना डीपीएच एचपीएस	36.00	130.43	196.18	135.15	156.02
कोयना-I एचपीएस				517.92	640.51
कोयना-I व II एचपीएस	600.00	1137.46	1024.61		
कोयना-II एचपीएस				533.30	649.70
कोयना-III एचपीएस	320.00	671.49	480.65	498.91	614.14
कोयना-IV एचपीएस	1000.00	1573.64	1066.51	945.47	1245.48
पेंच एचपीएस	160.00	213.13	131.61	159.53	360.14
तिल्लारी एचपीएस	60.00	101.43	110.96	57.81	106.16
वैतर्णा एचपीएस	60.00	73.49	154.17	204.62	153.52
महाराष्ट्र कुल	3047.00	5547.24	5076.86	4861.12	5923.70
पश्चिमी क्षेत्र कुल	7392.00	16664.94	9759.42	9177.92	17178.00
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश					
लोअर सिलेरू एचपीएस	460.00	756.38	1094.06	1109.77	831.90
नागार्जुन सागर टीपीडी	50.00	78.26	49.92	42.13	7.35
नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस	90.00	102.83	101.55	59.73	4.15
श्रीशैलम एचपीएस	770.00	1293.54	551.07	574.95	640.61
अपर सिलेरू एचपीएस	240.00	561.09	476.34	482.22	340.41
आंध्र प्रदेश कुल	1610.00	2792.10	2272.94	2268.80	1824.42
कर्नाटक					
अलमत्ती डीपीएच एचपीएस	290.00	618.69	408.42	441.58	404.05
भद्रा एचपीएस	26.00	67.02	55.21	15.69	27.06
गेरूसुप्पा एचपीएस	240.00	520.86	525.67	280.89	276.60
घाटप्रभा एचपीएस	32.00	40.06	80.67	48.37	48.74
हम्पी एचपीएस	36.00	53.86	19.21	36.26	0.10
जोग एचपीएस	139.20	267.64	194.44	191.48	288.25
कद्रा एचपीएस	150.00	430.91	375.85	192.91	176.42
कालीनदी एचपीएस	855.00	3157.84	2777.85	1537.28	1344.82
कालीनदी सुपा एचपीएस	100.00	538.89	596.16	290.98	239.20
कोडासली एचपीएस	120.00	419.17	345.56	170.94	154.16
लिगनामक्की एचपीएस	55.00	267.89	252.53	125.55	105.64

मुनीराबाद एचपीएस	28.00	78.10	89.42	51.38	31.49
शारावथी एचपीएस	1035.00	4593.04	4786.18	2722.35	2708.77
शिवसमुद्रम एचपीएस	42.00	251.84	284.19	176.81	145.14
टीबी डैम एचपीएस	36.00	140.39	152.54	97.71	81.16
वराही एचपीएस	460.00	1094.00	1243.79	762.44	740.75
कर्नाटक कुल	3644.20	12540.20	12187.69	7142.62	6772.35
केरल					
इदमलायर एचपीएस	75.00	231.27	345.50	256.26	171.72
इदुक्की एचपीएस	780.00	1664.11	2920.43	1611.06	1380.06
कक्कड एचपीएस	50.00	162.66	221.66	159.88	131.68
कुट्टीयाडी एचपीएस	75.00	191.10	233.75	430.12	327.24
कुट्टीयाडी एडिशि. एक्सटें.	100.00	285.08	332.21	170.94	151.48
कुट्टीयाडी एक्सटें. एचपीएस.	50.00	74.88	127.42		
लोअर पेरियार एचपीएस	180.00	407.43	525.18	507.74	307.23
नारीमंगलम एचपीएस	45.00	294.59	377.85	310.60	197.30
पल्लीवसल एचपीएस	37.50	130.43	185.25	188.39	166.05
पनियार एचपीएस	30.00	120.27	114.59	129.47	62.33
पोरिंगलकुडू एचपीएस	32.00	97.03	94.60	116.74	91.10
साबरिगिरी एचपीएस	300.00	1015.50	1516.40	968.46	798.79
संगुलम एचपीएस	48.00	142.46	122.98	144.91	115.66
शोलायर एचपीएस	54.00	190.17	202.39	204.69	166.85
केरल कुल	1856.50	5006.98	7320.21	5199.26	4067.49
तमिलनाडु					
अलियार एचपीएस	60.00	62.77	48.57	90.08	61.73
भवानी बेराज-II एचपीएस	30.00	57.76	77.16	37.62	19.83
भवानी बेराज-III एचपीएस	30.00	35.87	34.06	0.00	17.47
भवानी कट्टल	30.00	62.64	70.21	16.96	20.59
कदमपरी एचपीएस	400.00	326.67	434.75	384.36	289.39
कोडायार एचपीएस				123.98	169.43
कोडायार-I एचपीएस	60.00	113.78	144.11		
कोडायार-II एचपीएस	40.00	45.07	49.97		
कुडहा एचपीएस				806.23	815.61
कुडहा-I एचपीएस	60.00	219.29	270.77		
कुडहा-II एचपीएस	175.00	608.24	678.67		
कुडहा-III एचपीएस	180.00	367.13	397.66		
कुडहा-IV एचपीएस	100.00	158.08	172.05		
कुडहा-V एचपीएस	40.00	70.55	89.84		
लोअर मेट्टूर एचपीएस				131.95	92.27
लोअर मेट्टूर-I एचपीएस	30.00	65.72	69.66		
लोअर मेट्टूर-II एचपीएस	30.00	63.69	31.68		
लोअर मेट्टूर-III एचपीएस	30.00	61.69	65.27		
लोअर मेट्टूर-IV एचपीएस	30.00	48.58	53.70		
मेट्टूर डैम एचपीएस	50.00	136.13	147.96	52.24	44.75
मेट्टूर टनल एचपीएस	200.00	372.03	440.59	163.32	80.73
मोयार एचपीएस	36.00	115.86	161.99	94.40	61.52
पपानासम एचपीएस	32.00	98.08	120.91	115.28	66.54
पर्सन्स वैली एचपीएस	30.00	18.70	45.94	27.11	23.95
पेरियार एचपीएस	161.00	502.07	703.00	287.10	93.91
पाइकारा एचपीएस	59.20	17.90	22.05	0.98	12.74
पाइकारा अल्टीमेट एचपीएस	150.00	338.04	507.96	274.11	192.55
सरकारपथी एचपीएस	30.00	101.16	129.65	85.46	63.29
शोलायर एचपीएस (टीएन)	70.00	290.40	220.86	157.73	228.11
सुरुलियार एचपीएस	35.00	113.59	92.55	70.69	42.71
तमिलनाडु	2178.20	4471.49	5281.59	2919.60	2397.12
तेलंगाना					
लोअर जुराला एचपीएस	240.00	317.97	153.31	205.90	176.34

नागार्जुन सागर एचपीएस	815.60	1511.36	338.82	184.49	186.15
नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	60.00	97.93	53.30	12.80	0.00
पोचमपड एचपीएस	36.00	39.04	31.70	35.69	75.29
प्रियदर्शिनी जुराला एचपीएस	234.00	321.74	165.00	217.40	211.99
पुलीचिंताला एचपीएस	120.00	202.50	17.30	6.60	13.00
श्रीशैलम एलबी एचपीएस	900.00	1928.61	985.18	829.10	617.22
तेलंगाना कुल	2405.60	4419.15	1744.61	1491.98	1279.99
दक्षिणी क्षेत्र कुल	11694.50	29229.92	28807.04	19022.26	16341.37
पूर्वी क्षेत्र					
झारखंड					
पंचेत एचपीएस	80.00	106.40	79.79	141.94	133.51
सुबर्णरेखा एचपीएस				190.38	30.13
सुबर्णरेखा-I एचपीएस	65.00	0.38	51.47		
सुबर्णरेखा-II एचपीएस	65.00	35.74	49.72		
झारखंड कुल	210.00	142.52	180.98	332.32	163.64
ओडिशा					
बालीमेला एचपीएस	510.00	1447.12	1732.21	1477.19	1001.38
चिपलीमा एचपीएस	72.00	229.95	168.31		
हीराकुड एचपीएस	275.50	525.43	380.27	863.05	716.97
मचकुंद एचपीएस	114.75	610.55	593.68	467.70	700.31
रंगाली एचपीएस	250.00	611.04	837.89	762.61	553.56
अपर इंद्रावती एचपीएस	600.00	2084.15	2141.84	1745.57	1521.64
अपर कोलाब एचपीएस	320.00	747.32	923.25	706.87	619.34
ओडिशा कुल	2142.25	6255.56	6777.45	6022.99	5113.20
सिक्किम					
चूजाचैन एचपीएस	110.00	461.53	417.40	444.79	494.75
दिक्चू एचपीएस	96.00	476.73	462.24	370.10	
जोरथांग लूप	96.00	398.51	409.75	406.01	405.63
रंगित एचपीएस	60.00	339.87	349.09	345.91	347.14
ताशिडिंग एचपीएस	97.00	435.15	423.73	73.07	0.00
तीस्ता-V एचपीएस	510.00	2719.73	2701.46	2818.78	2773.46
तीस्ता-III एचपीएस	1200.00	5883.06	4258.40	4429.33	309.42
सिक्किम कुल	2169.00	10714.58	9022.07	8887.99	4330.40
पश्चिम बंगाल					
जलढाका एचपीएस स्टे.-I	36.00	180.28	197.04	145.18	205.46
मैथॉन एचपीएस	63.20	78.00	101.36	114.41	122.03
पुरुलिया पीएसएस एचपीएस	900.00	1047.59	1103.97	1014.37	1106.97
रम्माम एचपीएस	50.00	238.11	236.93	122.47	248.42
तीस्ता लो डैम-III एचपीएस	132.00	564.44	572.06	386.87	553.87
तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस	160.00	716.49	708.45	495.15	602.53
पश्चिम बंगाल कुल	1341.20	2824.91	2919.81	2278.45	2839.28
पूर्वी क्षेत्र कुल	5862.45	19937.57	18900.31	17521.75	12446.52
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
अरुणाचल प्रदेश					
कामेंग एचपीएस	300.00	8.12	0.00	0.00	
पारे एचपीएस	110.00	453.70	347.16	0.00	0.00
रंगानदी एचपीएस	405.00	1236.34	1051.86	1416.74	1249.01
अरुणाचल प्रदेश कुल	815.00	1698.16	1399.02	1416.74	1249.01
असम					
कारबी लांगपी एचपीएस	100.00	384.11	372.72	484.98	396.59
खोंडोंग एचपीएस	50.00	190.52	203.82	260.77	197.10
कोपिली एचपीएस	200.00	716.90	1117.82	1172.83	1088.27
असम कुल	350.00	1291.53	1694.36	1918.58	1681.96
मणिपुर					
लोकटक एचपीएस	105.00	343.86	602.61	837.74	741.07
मणिपुर कुल	105.00	343.86	602.61	837.74	741.07

मेघालय					
किरदमकुई एचपीएस	60.00	133.09	134.84	132.18	65.29
मिंटडू (लेशका) स्टे.-1 एचपीएस	126.00	419.69	362.95	502.47	391.65
न्यू उमतरू एचपीएस	40.00	174.31	180.03	159.52	0.00
उमियम एचपीएस स्टे.-I	36.00	101.26	85.11	128.65	96.65
उमियम एचपीएस स्टे.-IV	60.00	157.35	166.60	217.44	166.01
मेघालय कुल	322.00	985.70	929.53	1140.26	719.60
मिजोरम					
तुरियल एचपीएस	60.00	169.90	168.44	78.37	
मिजोरम कुल	60.00	169.90	168.44	78.37	
नागालैंड					
दोयांग एचपीएस	75.00	176.39	231.47	274.39	258.94
नागालैंड कुल	75.00	176.39	231.47	274.39	258.94
पूर्वात्तर क्षेत्र कुल	1727.00	4665.54	5025.43	5666.08	4650.58
कुल जोड़	45699.22	146668.30	134893.61	126122.70	122377.56

** अगस्त, 2019 से लद्दाख के अधीन।

* वास्तविक-सह-मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम।

टिप्पणी: 1. केवल 25 मेगावाट एवं उससे अधिक के परंपरागत स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो एवं न्यूक्लियर) के स्टेशनों से सकल उत्पादन।

2. ऊपर दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य एवं निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।

लोक सभा में दिनांक 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4263 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2018-19 के लिए क्षमता उपयोग संघटक (सीयूएफ) का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	2018-19	
	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)	क्षमता उपयोग संघटक (सीयूएफ)
हिमाचल प्रदेश	9809	41.79
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	3360	55.67
पंजाब	1096.3	45.14
राजस्थान	411	19.40
उत्तर प्रदेश	501.6	26.77
उत्तराखंड	3756.35	41.76
लद्दाख	89	19.82
उत्तरी क्षेत्र	19023.25	43.45
छत्तीसगढ़	120	23.12
गुजरात	1990	5.98
मध्य प्रदेश	2235	17.35
महाराष्ट्र	3047	19.02
पश्चिमी क्षेत्र	7392	15.07
आंध्र प्रदेश	1610	16.12
कर्नाटक	3644.2	38.18
केरल	1856.5	45.01
तमिलनाडु	2178.2	27.68
तेलंगाना	2405.6	8.28
दक्षिणी क्षेत्र	11694.5	28.12
झारखंड	210	9.84
ओडिशा	2142.25	36.12
सिक्किम	2169	47.48
पश्चिम बंगाल	1341.2	24.85
पूर्वी क्षेत्र	5862.45	36.80
अरुणाचल प्रदेश	815	31.01
असम	350	55.26
नागालैंड	75	35.23
मणिपुर	105	65.52
मेघालय	322	32.95
मिजोरम	60	32.05
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1427	40.20
कुल भारत	45699	33.92

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4263 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का राज्य-वार ब्यौरा

(15.03.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम/निष्पादन एजेंसी का नाम	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति
	आंध्र प्रदेश		
1	पोलावरम (एपीजेको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	960.00	<p>मैसर्स ट्रांसटॉय-जेएससी ईसी यूईएस जेवी को मार्च, 2013 में स्पिल्वे, अर्थ कम रॉकफिल डैम, पावर हाउस फाउंडेशन कार्य अवाई किए गए। ईसीआरएफ डैम: 508.06 एल.कम/833.169 एल. कम का अर्थ कार्य पूरा हो गया है।</p> <p>डायफ्राम वाल कंक्रिटिंग - पूर्ण। स्पिल्वे: खुदाई-1115.59 एल. कम में से 838.80 एल. कम पूरी की गई। कंक्रिटिंग 36.79 एल. कम में से 9.60 एल. कम पूरी की गई। गेट: रेडियल गेट फैब्रिकेशन - 18000 एमटी (61.17%) में से 11010 एमटी पूरा किया गया। पावर हाउस: 112.20 एल.कम/114 एल. कम का अर्थ कार्य पूरा हो गया है और 9.79 एल.कम/10 एल. कम का इम्बैकमेंट पूरा हो गया है।</p> <p>ख) टर्नकी आधार पर पावर हाउस के कार्यों के लिए एलओए दिनांक 06.12.2017 को मैसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एनईसीएल) को जारी किया गया था। संविदा एपीजेको द्वारा 14.08.2019 को समाप्त कर दी गई। मैसर्स एनईसीएल ने समाप्ति आदेश को दिनांक 19.08.2019 को माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.08.2019 को अंतरिम स्थगन की मंजूरी दी। इसी दौरान, पुनः निविदा पर, एलओआई दिनांक 01.11.2019 को मैसर्स मेघा इंजी. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) को जारी किया गया था। चूंकि स्थगन आदेश प्रभावी है। इसलिए अगली कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।</p>
	अरुणाचल प्रदेश		
2	कामेंग (नीपको) 2 यूनिटें प्रचालनाधीन	300.00	<p>परियोजना चालू करने से संबंधित सभी मुख्य कार्य पूरे किए गए। सभी यूनिटें बॉक्सड अप की गई हैं। मार्च, 2018 में पानी भरने के दौरान पेनस्टॉक में रिसाव देखी गई। इसके बाद, प्रेशर शॉफ्ट/पेनस्टॉक के सभी ज्वाइंट की पूर्ण एनडीटी कमियों को दूर करने सहित प्रगति पर है।</p> <p>सुधारों की प्रगति :- पेनस्टॉक-1 :- सुधार/मरम्मत कार्य पूरे किए गए। पेनस्टॉक -2 : वेल्ड डिफेक्ट की 5071 आरएम में से 2532 आरएम वेल्डिंग की मरम्मत पूरी की गई। यूनिट#1 व 2 को क्रमशः दिनांक 10.02.2020 और 03.02.2020 को क्षमता</p>

			<p>अभिवृद्धि के रूप में लिया गया।</p> <p>ii) ऑफसेट की वेल्डिंग की मरम्मत:- 873.85 आरएम में से 786 आरएम पूरी की गई।</p>
3	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	2000.00	<p>बांध: बांध कंक्रीटिंग 53.42% और इंटेक कंक्रीटिंग 96% पूरी की गई। एचआरटी: 98% शीर्ष खुदाई, 73.65% बेंचिंग खुदाई और 56.80% कंक्रीट ओवर्ट लाइनिंग पूरी की गई। सर्ज टनल: सर्ज टनल :- 86.40% शीर्ष खुदाई और 12% बेंचिंग खुदाई पूरी की गई। प्रेसर शाफ्ट :- 384 एम में से 199 एम (51.82%) वर्टिकल पीएस स्लेशिंग। पावर हाउस :- खुदाई लगभग पूरी की गई है और कंक्रीटिंग 35% पूरी की गई। ईएंडएम कार्य:- यूनिट-1: एल्बो इरेक्शन (1 से 6) और टरबाइन स्टे रिंग तथा स्पायरल केस इरेक्शन पूरा किया गया। यूनिट-2: एल्बो इरेक्शन (2 से 6) और टरबाइन स्टे रिंग तथा स्पायरल केस इरेक्शन पूरा किया गया। एचएम कार्य: डाइवर्जन टनल गेटों का इरेक्शन: 51.80% पूरा किया गया। इंटेक गेटों का इरेक्शन: 8% पूरा किया गया। कुल 1594 एम में से, 293 एम प्रेशर शाफ्ट स्टील लाइनर का इरेक्शन किया गया।</p> <p>सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के विरुद्ध विभिन्न आंदोलनकारियों द्वारा शुरू किए गए विरोध के कारण और एनजीटी के निर्देशानुसार दिसंबर, 2011 से सितंबर, 2019 तक संरक्षा संबंधी कार्यों को छोड़कर सभी कार्य रुके हुए थे। एनजीटी से प्राप्त स्वीकृति के बाद 15.10.2019 से कार्य पुनः शुरू किए गए।</p>
	हिमाचल प्रदेश		
4	पार्वती स्टे.-II (एनएचपीसी)	800.00	<p>एचआरटी को छोड़कर पूरी की गई परियोजना चालू करने से संबंधित सभी मुख्य कार्य पूरे किए गए। हेड रेस टनल: खुदाई: 31.5 किमी में से 28.82 किमी पूरी की गई। कुल ओवर्ट लाइनिंग: 31.5 किमी में से 26.89 किमी पूरी की गई। ईएंडएम कार्य: जीवा नाला से पानी का उपयोग करते हुए पार्ट लोड पर ग्रिड से सभी यूनिटों को सिंक्रोनाइज किया गया है।</p>
5	उहल-III (बीवीपीसीएल)	100.00	<p>सभी कार्य पूरे किए गए। हाइड्रो स्टेटिक प्रेशर टेस्ट (एचएसटी) के दौरान पेनस्टॉक में कुछ रिसाव देखी गई थी। पेनस्टॉक एवं एचएसटी की मरम्मत पूरी की गई और वाटर कंडक्टर सिस्टम का भराव प्रगति पर है।</p>
6	सावरा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	111.00	<p>एचआरटी की सफाई को छोड़कर परियोजना चालू करने से संबंधित सभी मुख्य कार्य पूरे किए गए।</p>
7	शौगटोंग करचम (एचपीपीसीएल)	450.00	<p>रिवर डाइवर्जन 10.02.2017 को किया गया। बैराज: संविदाकार द्वारा आरेख प्रस्तुत किया जाना है। एचआरटी: एचआरटी की शीर्ष खुदाई 7.712 किमी में से 5.72 किमी पूरी की गई। सर्ज शाफ्ट: 100 एम में से 95 एम पायलट होल पूरा किया गया। पावर हाउस: पावर हाउस की 98% खुदाई पूरी की गई है। आर्मी अस्त्र-शस्त्र डिपो के विस्थापन के कारण एचआरटी के कुछ हिस्से में कार्य रुके। मामला आर्मी, जीओएचपी और एचपीपीसीएल के बीच सुलझाया जा रहा है।</p>
8	बजोली होली (जीएमआर)	180.00	<p>सिविल कार्य: 86% कार्य पूरा किया गया। बांध: खुदाई पूरी की गई। 2,10,000 क्यू.म. में से 1,36,844 क्यू.म. कंक्रीटिंग पूरी की गई।</p>

			<p>एचआरटी: खुदाई पूरी की गई। 15.9 किमी में से 6.485 किमी लाइनिंग पूरी की गई।</p> <p>सर्ज शाफ्ट: खुदाई पूरी की गई। लाइनिंग-4470/5200 क्यूमे. पूरी की गई।</p> <p>प्रेशर शाफ्ट: खुदाई पूरी की गई। लाइनिंग-664 एमटी/2440 एमटी पूरी की गई।</p> <p>पावर हाउस: खुदाई पूरी की गई और कंक्रिटिंग लगभग पूरी की गई।</p> <p>एचएम कार्य: 72% कार्य पूरा किया गया।</p> <p>ईएंडएम कार्य: 82% कार्य पूरा किया गया।</p>
9	सोरांग (एचएसपीसीएल)	100.00	<p>सभी सिविल कार्य पूरा किये गये।</p> <p>दोनों यूनिटें बॉक्सड अप की गईं। नवम्बर, 2013 के प्रथम सप्ताह में वाटर कंडक्टर सिस्टम की भराई के दौरान, दरारों के कारण पेनस्टॉक में रिसाव हो गया। सुधारात्मक कार्य अप्रैल, 2015 में पूरे किए गए। ग्रिड के साथ यूनिट#1 दिनांक 30.10.2015 को सिंक्रोनाइज की गई। तथापि, निर्धारित डिस्चार्ज की अनुपलब्धता के कारण चालू नहीं की जा सकी।</p> <p>18.11.2015 को जब यूनिट #2 का ट्रायल चल रहा था, सरफेस पेनस्टॉक पाइप में दरार आ गई। घटना से जान-माल का नुकसान हुआ। सुधारात्मक कार्य प्रगति पर है। पेनस्टॉक के नए एलाइनमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य अवसंरचना पूरी की गई। फेरुलस की फैब्रिकेशन प्रगति पर है।</p>
10	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	44.00	<p>सिविल कार्य दिनांक 14.06.2010 को मैसर्स साई ऊर्जा हाइडल प्रोजेक्ट (पी) लि. को अवार्ड किए गए।</p> <p>बैराज एवं डाइवर्जन कैनल: 93800 क्यूमे. में से 26211 क्यूमे. खुदाई पूरी की गई।</p> <p>डिसिल्टिंग चैम्बर्स और एसएफटीपीसी: खुदाई पूरी की गई। एसएफटी खुदाई 420/450.66 एम पूरी की गई।</p> <p>एचआरटी: 6300 एम में से 2826 एम खुदाई पूरी की गई।</p> <p>पावर हाउस, स्विचयार्ड और विविध: 72000 एम3 में से 60275 एम3 खुदाई पूरी की गई।</p> <p>फरवरी, 2015 में, पब्लर नदी पर भूस्खलन, स्टील ब्रिज के कारण, कंक्रिटिंग परियोजना संघटक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सुधार कार्य पूरे किए गए हैं।</p>
11	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	100.00	<p>बैराज एवं नदी डाइवर्जन कार्य: सामान्य खुदाई पूरी की गई और 71700.84/73409.00 ओपन कट रॉक खुदाई पूरी की गई। 37159 क्यूमे. में से 32144 क्यूमे. कंक्रिटिंग की गई।</p> <p>शीर्ष रेगुलेटर और डिसिल्टिंग व्यवस्था: सामान्य खुदाई पूरी की गई। 10,000 क्यूमे. में से 9763 क्यूमे. ओपन कट रॉक खुदाई पूरी की गई।</p> <p>एचआरटी (8526 एम.): 3054 एम. खुदाई पूरी की गई और 10,299/83,800 क्यूमे. कंक्रिटिंग का शीर्ष कार्य पूरी की गई है।</p> <p>सर्ज शाफ्ट: खुदाई 63 एम./87 एम. पूरी की गई।</p> <p>प्रेशर शाफ्ट: खुदाई पूरी की गई। 205 एम./1310 एम. लाइनिंग पूरी की गई।</p> <p>पावर हाउस और टेल रेस चैनल- 92500 क्यूमे. में से 87709 क्यूमे. खुदाई पूरी की गई।</p> <p>16156 क्यूमे. में से 11237 क्यूमे. कंक्रिटिंग पूरी की गई।</p> <p>पावर हाउस का सिविल कार्य कुल 72% पूरा किया गया।</p> <p>मैसर्स स्टेटक्राफ्ट इंडिया प्रा. लि. ने दिनांक 04.09.2018 को परियोजना की 100% इन्विटी अधिग्रहीत की और परियोजना में जनशक्ति की पुनःतैनाती प्रगति पर है।</p>
12	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि.)	240.00	<p>सिविल कार्य दिनांक 29.10.2019 को अवार्ड किए गए।</p>
	जम्मू व कश्मीर		
13	पकल दुल	1000.00	<p>अवसंरचनात्मक कार्य: एमएटी की खुदाई और पावर हाउस का प्रवेश मार्ग पूरा</p>

	(सीवीपीपीएल)		<p>किया गया। बांध: मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स को स्वीकृति पत्र दिनांक 21.06.2018 को जारी किया गया। सर्ज शाफ्ट: सर्ज शाफ्ट तक पहुँच सड़क दिनांक 30.11.2018 तक पूरी की गई। पावर हाउस (157 एम. x 20.20 एम. x 49 एम.): मैसर्स एफकॉन-जेवी एसोसिएट्स को स्वीकृति पत्र दिनांक 21.02.2018 को जारी किया गया। एमएटी की खुदाई दिनांक 20.12.2018 को पूरी की गई।</p> <p>ईएंडएम पैकेज: लैटर ऑफ अवार्ड दिनांक 02.01.2019 को मैसर्स वॉइथ हाइड्रो लि. को जारी किया गया। एचएम कार्य पैकेज: लैटर ऑफ अवार्ड दिनांक 26.08.2019 को मैसर्स पीईएस इंजीनियर्स प्रा. लि. को जारी किया गया।</p>
14	परनई (जेकेएसपीडीसी)	37.50	<p>2013 में मैसर्स पटेल इंजी. लि. के पक्ष में ईपीसी निविदा अवार्ड करते हुए परियोजना का कार्यान्वयन किया गया। बैराज:- 46364 क्यूमे. में से 32603 क्यूमे. खुदाई पूरी की गई। 34589 क्यूमे. में से 19128 क्यूमे. कंक्रीटिंग पूरी की गई। एचआरटी (डी-शेड, 3.2 मी. डायमीटर, 9.263 किमी लंबाई):- 9236 एम. में से 4787 एम. खुदाई पूरी की गई। पेशर शाफ्ट (1, 2 एम. डाय., 1733 एम. लंबाई): खुदाई: 80,000 क्यूमे. में से 11254 क्यूमे. पूरी की गई। कंक्रीटिंग: 7212 क्यूमे. में से 454 क्यूमे. पूरी की गई</p> <p>सर्ज शाफ्ट (3.2 मी. डाय.): खुदाई: 14000 क्यूमे. में से 704 क्यूमे. पूरी की गई।</p>
15	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	48.00	<p>ईपीसी निविदा सितंबर, 2013 में मैसर्स सीपीएल को अवार्ड की गई। डाइवर्जन टनल पूरा किया गया है और रिवर डाइवर्जन दिनांक 30.11.2016 को किया गया। कॉफर डैम में कार्य शुरू किया गया है। बांध:- खुदाई कार्य डैम ब्रिज के दाहिने हिस्से में पूरा किया गया। बांये हिस्से की खुदाई 50% तक पूरी की गई है। एचआरटी:- प्रवेश स्थान की खुदाई प्रगति पर है। जनवरी, 2017 में कार्य निरस्त होने के बाद, 12 अप्रैल, 2017 में स्थल पर कार्य फिर से शुरू किए गए। संविदाकार की खराब प्रगति के कारण, जेकेएसपीडीसी ने अग्रिम भुगतान के लिए और 79.21 करोड़ रुपये की कुल निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त कर लिया। अब मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लि. के साथ संविदा समाप्त कर दी गई है और पुनः निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर है।</p>
16	किरू (सीवीपीपीएल)	624.00	<p>सिविल, एचएम और ईएंडएम कार्य दिनांक 24.02.2020 को अवार्ड किए गए हैं।</p>
17	रत्ने (आरएचईपीपीएल/ एनएचपीसी)	850.00	<p>ईपीसी संविदा सिविल एवं एचएम कार्यों के लिए मैसर्स जीवीके प्रोजेक्ट्स एंड टेक्निकल सर्विसेज को दिनांक 04.07.2013 को अवार्ड की गई है। डीटी1 की खुदाई (472 एम. में से 298 एम.) और डीटी2 (192 एम. में से 552 एम.) पूरी की गई।</p> <p>- लगातार स्थानीय अवरोध के कारण परियोजना स्थल पर कार्य दिनांक 11.07.2014 से बंद कर दिए गए हैं।</p> <p>- जम्मू व कश्मीर सरकार, पीडीडी ने दिनांक 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया है और जेकेएसपीडीसी को परियोजना को लेने और भारत सरकार के साथ संयुक्त उद्यम मोड में कार्यान्वित करने का निदेश दिया। संयुक्त उद्यम मोड में परियोजना के निष्पादन के लिए जेकेपीडीडी, जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी के बीच दिनांक 03.02.2019 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। सीईए द्वारा</p>

			दिनांक 07.05.2019 को लागत अनुमान की पुनरीक्षा की गई। पीआईबी की बैठक दिनांक 09.03.2020 को आयोजित की गई।
	केरल		
18	पल्लीवसल (केएसईबी)	60.00	इंटेक संरचना: खुदाई - 28398/33492 क्यूमे. पूरी की गई। कट व कवर/साँयल टनल द्वारा वाटर कंडक्टर प्रणाली के लीडिंग चैम्बर को प्रतिस्थापित किया गया और तदनुसार इंटेक को शिफ्ट किया गया। एचआरटी: खुदाई -2858/3330 एम. पूरी की गई। ओवर्ट कंक्रीटिंग 1637/3330 एम. पूरी की गई। इनवर्ट कंक्रीटिंग - 1637/3330 एम. पूरी की गई। सर्ज टैंक/फोरबे: खुदाई-7640/13400 क्यूमे. कंक्रीटिंग 423/843 क्यूमे. प्रेसर शाफ्ट: खुदाई पूरी की गई। स्टील लाइनर का फैब्रिकेशन पूरा किया गया और 96/1096 एम. का इरेक्शन पूरा किया गया। सरफेस पेनस्टॉक: खुदाई-109354/122600 क्यूमे. कंक्रीटिंग- 11641/12850 क्यूमे. और 2036 एम. में से 1701 एम. इरेक्शन पूरा किया गया। पावर हाउस: खुदाई पूरी की गई। कंक्रीटिंग 3980/11225 क्यूमे.। टेल रेस चैनल (2): खुदाई और लाइनिंग पूरी की गई। ईएंडएम कार्य: 75% आपूर्ति पूरी की गई।
19	थोटियार (केएसईबी)	40.00	सिविल कार्य : वेयर : 10208 क्यूमे. में से 3590.17 क्यूमे. की खुदाई की गई और 10928 क्यूमे. में से 5550 क्यूमे. की कंक्रीटिंग की गई। पहुंच चैनल व इंटेक : 9584 क्यूमे.में से -3184 क्यूमे. की खुदाई की गई। पावर टनल : खुदाई पूरी की गई। पावर हाउस, स्विचयार्ड व एलडंड कार्य: 43690 क्यूमे. में से 33785 क्यूमे. की खुदाई की गई। 16209 एम. में से 3676 क्यूमे. कंक्रीटिंग पूरी की गई।
	मध्य प्रदेश		
20	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	400.00	सिविल एवं एचएम कार्य: सभी प्रमुख सिविल कार्य पूरे किए गए हैं। सभी 27 रेडियल गेट्स चालू किए गए। यूनिट इरेक्शन: यूनिट-10: 14.10.2011 को आरंभिक स्पिनिंग की गई। यूनिट-9 एवं 8: स्पिनिंग के लिए तैयार यूनिट-7: गाइड उपकरण ट्रायल असेंबली प्रगति में है। यूनिट-6: टरवाइन एम्बेडेड पार्ट का इरेक्शन और फाउंडेशन पार्ट पूरा किया गया। यूनिट-5 से 1: यूनिटों का इरेक्शन प्रारंभिक चरण में। विकासकर्ता से नकदी प्रवाह समस्या के कारण नवंबर, 11 से कार्य रूका हुआ है। वर्तमान में, मध्य प्रदेश सरकार ने ऊर्जा विभाग के दिनांक 18.04.2019 के आदेश के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों की जांच करने और सुझाव देने के लिए मध्य प्रदेश से वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए डॉ. राजन कटोच (आईएएस - सेवानिवृत्ति) सदस्यता में उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया। दिनांक 25.05.2019 को आयोजित टास्क फोर्स की प्रथम बैठक में टास्क फोर्स के अध्यक्ष ने इस पर आगे बढ़ने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए प्रमोटर और लैंडर्स को निर्देश दिया। टास्क फोर्स के निर्देशों के अनुक्रम में इंटेग्रा लिमिटेड प्रमोटर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (प्रमुख लैंडर) और एसएमएचपीसीएल के मध्य दिनांक 22.07.2019 को एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया। एमओयू में सहमति के अनुसार प्रमोटर द्वारा नामित नए प्रबंधन ने अगस्त 2019 में एसएमएचपीसीएल का कार्यभार ग्रहण किया।
	महाराष्ट्र		
21	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, महा.)	80.00	सिविल कार्य : 14105 क्यूमे. में से 4781 क्यूमे. इंटेक अवसंरचना की खुदाई और 3381 क्यूमे. में से 2485 क्यूमे. की लाइनिंग पूरी की गई।

			<p>स्विचयार्ड की खुदाई पूरी की गई। पहुंच टनल की खुदाई व वेंटिलेशन टनल प्रगति में है।</p> <p>टैल सर्ज शाफ्ट : शॉफ्ट स्ट्रेटा में खुदाई पूरी की गई। हार्ड रॉक 6448/9223 क्यूमे. में इन्क्लाइंड/वर्टिकल/लेटरल शॉफ्ट के लिए खुदाई पूरी की गई।</p> <p>टीआरटी: 364 / 24003 क्यूमे. खुदाई पूरी की गई।</p> <p>मशीन हॉल : भूमिगत खुदाई प्रगति में है। 55050 क्यूमे. से 22600 क्यूमे. पूरी की गई</p> <p>ईएंडएम कार्य:</p> <p>इंजीनियरिंग विनिर्माता आपूर्ति, सुपरविजन इरेक्शन, टेस्टिंग कमीशनिंग और पम्प टरबाइन, जेनरेटर मोटर और इससे संबंधित उपकरण के वाणिज्यिक प्रयोग में लाने के लिए संविदा मैसर्स आईवीआरसीएल लिमिटेड पुणे के साथ 16.12.2010 को हस्ताक्षरित की गई। इसके अतिरिक्त, टीजी सेट अवार्ड किया गया।</p> <p>ईओटी क्रेन :- कार्य को दिनांक 12.04.2013 को मैसर्स पेडवक क्रैन्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अवार्ड किया गया।</p>
	पंजाब		
22	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	206.00	<p>मुख्य बांध : 18.40 लेक क्यूमे. में 13.55 लेक क्यूमे. खुदाई और 11.05 लेक क्यूमे. से 3.25 लेक क्यूमे. कंक्रीटिंग पूरी की गई।</p> <p>हाइडल चैनल : खुदाई/कंक्रीटिंग पूरी करने के अग्रिम चरण में है।</p> <p>रावी नदी के जल की हिस्सेदारी और टैरिफ पर जम्मू व कश्मीर और पंजाब राज्य के बीच अंतरराज्यीय विवाद के कारण डैम का कार्य 29.08.2014 से रुका हुआ है। मुख्य सचिव, जम्मू व कश्मीर सरकार और मुख्य सचिव, पंजाब सरकार के बीच दिनांक 08.09.2018 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पंजाब केबिनेट ने उपरोक्त समझौते की पुष्टि की परियोजना की शून्य तिथि 1 नवंबर, 2018 थी।</p>
	सिक्किम		
23	तीस्ता स्टे.-VI एनएचपीसी	500.00	<p>बैराज और डेस्टलिंग: खुदाई पूरी की गई एवं 380003क्यूमे. की 98 प्रतिशत कंक्रीटिंग पूरी की गई।</p> <p>एचआरटी : कुल 27505 एम से 10650 एम की शीर्ष खुदाई और 4270 एम बचिंग खुदाई पूरी की गई। ओवर्ड लाइनिंग 1550 एम पूरी की गई।</p> <p>सर्ज टैंक : खुदाई पूरी की गई व कंक्रीटिंग प्रगति पर है।</p> <p>प्रेशर शाफ्ट: 4 प्रेशर शॉफ्ट की भूमिगत खुदाई पूरी की गई एक प्रेशर शॉफ्ट की लाइनिंग पूरी की गई हैं, शेष लाइनिंग प्रगति पर है।</p> <p>एचएम कार्य: बे 1 व 2 में रेडियल गेट इरेक्शन पूरा किया गया। बे 3 व 4 में रेडियल गेटों के प्रथम चरण एम्बेडेड पार्ट का इरेक्शन प्रगति पर है।</p> <p>पावर हाउस: खुदाई पूरी की गई और कंक्रीटिंग 21945 / 44578 क्यूमे. पूरी की गई। सभी 4 यूनिटों के लिए ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर की कंक्रीटिंग पूरी की गई। यूनिट #1 की इस्पाइरल कासिंग का इरेक्शन पूरा किया गया।</p> <p>ट्रांसफार्मर केवर्न : खुदाई पूरी की गई और 2539/7101 क्यूमे. कंक्रीट पूरी की गई। टीआरटी : खुदाई व लाइनिंग लगभग पूरी हो गई है।</p>
24	भास्मे (गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर)	51.00	<p>परियोजना का निर्माण आरंभिक चरण में है। नदी डायवर्जन किया गया है।</p> <p>बैराज : 61555 क्यूमे./194600 क्यूमे. खुदाई पूरी की गई।</p> <p>एचआरटी: 1670 एम/4460एम खुदाई पूरी की गई।</p> <p>पीएच: 136105 क्यूमे /185937 क्यूमे दाई पूरी की गई।</p> <p>सर्ज शाफ्ट : 8567 क्यूमे / 22000 क्यूमे सतही खुदाई पूरी की गई।</p>
25	रंगित-IV (जल पावर)	120.00	<p>बांध और इंटेक कार्य : 409184/492775 क्यूमे. खुदाई पूरी की गई और 173229 क्यूमे. में से 61045 क्यूमे. कंक्रीटिंग पूरी की गई। रोड डायवर्जन की खुदाई पूरी की गई।</p> <p>एचआरटी: खुदाई प्रगति में है। 6488 एम में से 3794 एम पूरी की गई।</p> <p>सर्ज शाफ्ट: खुदाई पूरी की गई।</p> <p>प्रेशर शाफ्ट: हॉरिजेंट प्रेशर शॉफ्ट की खुदाई पूरी की गई। 84.7 एम में से 60.5 एम वर्टिकल प्रेशर शॉफ्ट पूरी की गई।</p>

			<p>पावर हाउस: पावर हाउस में खुदाई पूरी की गई। 19900 क्यू.में. में से 8565 क्यू.में. कंक्रीटिंग पूरी की गई। डेस्टलिंग चैम्बर : 3360 एम में से 2143 एम की खुदाई पूरी की गई।</p> <p>5 अप्रैल, 2018 को पीएफसी में आयोजित संयुक्त ऋणदाता फोरम बैठक में ऋणदाताओं ने एनसीएलएटी में आवेदन फाइल करने का निर्णय लिया गया और 24 अप्रैल, 2018 को फाइल किया। एनसीएलएटी की अंतिम सुनवाई 29.03.2019 को हुई और इस पर दिनांक 09.04.2019 को आदेश आया । आदेशानुसार, आईआरपी को नियुक्त किया गया।</p> <p>एनएचपीसी लिमिटेड ने 08.07.2019 को ईओआई प्रस्तुत किया और दिनांक 23.08.2019 को भावी संकल्प आवेदनों की अंतिम सूची के अंतर्गत शॉर्ट लिस्टिड किया गया था। एनएचपीसी द्वारा दिनांक 04.12.2019 को संकल्प योजना प्रस्तुत किया गया।</p>
26	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	66.00	<p>मैसर्स कोस्टल को फरवरी, 2012 में ईपीसी संविदा अवार्ड की गई। डायवर्जन टनल : डायवर्जन टनल के माध्यम से रिवर डायवर्जन किया गया। बांध : 85000 क्यू.में. में से 53100 क्यू.में. की खुदाई पूरी की गई। एचआरटी : 4745 एम में से 623 एम खुदाई पूरी की गई। सर्ज शाफ्ट: खुदाई पूरी की गई। 37/1667 क्यू.में. कंक्रीटिंग पूरी की गई। प्रेशर शाफ्ट: प्रेशर शाफ्ट 1 की खुदाई - 128 एम. में से 25 एम. और प्रेशर शाफ्ट 2 - 377 एम. में से 154 एम. पूरी की गई। पावर हाउस: सतही पावर हाउस की खुदाई का जिम्मा लिया।</p>
27	रॉंगनीचू (मध्य भारत)	96.00	<p>सिविल कार्य मैसर्स मोशवराया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को और ई एवं एम कार्य मैसर्स लितोसोज पावर स्लोवानिया एवं सीजी इलेक्ट्रिक सिस्टम, हंगरी को फिर से एओर्ड किए गए हैं। बैराज-इरेक्शन पूरा किया गया और 71700 में से 71300 क्यू.में. कंक्रीटिंग पूरी की गई। एचआरटी :खुदाई का कार्य पूरा हो गया है और 12600 क्यू.में से 8217 क्यू.में कंक्रीटिंग कार्य पूरा हो गया है। सर्ज शाफ्ट :खुदाई एवं कंक्रीटिंग कार्य पूरे हो गए हैं दबाव शाफ्ट :1426.50 मी .में से 175 मी .स्टील लाइनिंग पूरी हो गई है वीपीएस के सिविल कार्य पूरे हो गए हैं पावर हाउस :खुदाई कार्य पूरा हो गया है। 24644 क्यू.में से 15482 क्यू.में कंक्रीटिंग कार्य पूरा हो गया है। ई एवं एम कार्य :ईओटी क्रैन कार्य पूरे हो गए हैं यूनिट#1 एवं 2: इरेक्शन कार्य पूरे हो गए हैं</p>
28	पनन (हिमगिरी)	300.00	<p>सिविल कार्य 22 .02. 2014 को अवॉर्ड किए गए। इन्फ्रास्ट्रक्चरल कार्य और भूगर्भीय जांच-पड़ताल जारी हैं। एनबीडबल्यूएल क्लीयरेंस दिसंबर 2015 में प्राप्त की गई। तथापि, इसमें एक ऐसा मामला है जिसने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पारि-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना और एनजीटी में जलवायु परिवर्तन को चुनौती दी है। इस मामले का 21 .08. 2017 को निपटान किया गया। डेवलपर ने वन, पर्यावरण एवं वन्य जीवन प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार से अनापत्ति/क्लीयरेंस देने के लिए आवेदन किया है</p>
	तमिलनाडु		
29	कुंडहा पम्पड स्टोरेज फेज-I, II व III)	500.00	<p>सिविल एवं एचएम कार्य :एलओआई पैकेज-I के लिए मैसर्स पटेल इंजी .लिमिटेड और पैकेज-II के लिए मैसर्स कुंडहा पीएसपी कन्सोशियम को 15 .02. 2018 को जारी किया गया। शेष एमएटी की खुदाई, शेष सीसीवीटी, टीआरटी के एडिट्स, टीआरएसएस पावर हाउस टॉप/बॉटम, दबाव शाफ्ट बॉटम पूरे हो गए हैं। एचआरटी पोर्टल :बेंचिंग कार्य जारी है। पावर हाउस :पीएच की स्लैशिंग एवं ट्रांसफोर्मर केवर्न पूरे हो गए हैं और बेंचिंग</p>

			कार्य जारी है। दबाव शाफ्ट :क्षैतिजिक एवं झुकी हुई स्थिति में खुदाई कार्य जारी हैं। टीआरटी :खुदाई कार्य जारी है। हैड रेस सर्ज शाफ्ट :खुदाई कार्य जारी है। ई एवं एम कार्य :कार्य मैसर्स मेघा इंजी .एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 28.11. 2019को अवॉर्ड किए गए हैं।
	उत्तराखंड		
30	लता तपोवन (एनटीपीसी)	171.00	इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। मुख्य कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण लटके हुए हैं। सिविल और एचएम कार्यों के लिए ईपीसी संविदा मैसर्स एल एंड टी को 17.08. 2012को अवॉर्ड किए गए। ई एवं एम पैकेज07 .12. 12को मैसर्स भेल को अवॉर्ड किया गया।
31	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	520.00	बांध :खुदाई कार्य पूरा हो गया है और129358 क्यू .में से126313 क्यू .में कंक्रीटिंग कार्य पूरा हो गया है। एचआरटी :4.95किमी में से3 .52किमी डीबीएम द्वारा और8 .27किमी में से 5.47किमी टीबीएम खुदाई कार्य द्वारा पूरे हो गए हैं।12 . 09में से7 . 10किमी कंक्रीट लाइनिंग कार्य पूरा हो गया है। पीएच केवर्न :खुदाई और कंक्रीट कार्य पूरे हो गए हैं। डिसिल्टिंग चेंबर एवं इनटेक :खुदाई कार्य पूरा हो गया है। टीआरटी :खुदाई कार्य पूरा हो गया है। सर्ज शाफ्ट :खुदाई और लाइनिंग कार्य पूरे हो गए हैं पेनस्टॉक :खुदाई और लाइनिंग कार्य पूरे हो गए हैं। ई एवं एम कार्य :पीट लाइनर इरेक्शन कार्य सभी 4 यूनिटों में पूरे हो गए हैं। सभी 4यूनिटों के टर्बाइन हाउसिंग इरेक्शन कार्य पूरे हो गए हैं। बीवीसी और सर्विस बे में ईओटी क्रेन का इरेक्शन कार्य पूरा हो गया है। यूनिट#1 एवं2 : बोक्स अप यूनिट#3: टर्बाइन इरेक्शन कार्य पूरा हो गया है। यूनिट#4:टर्बाइन इरेक्शन कार्य जारी है। क्रिटिकल : एचआरटी
32	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	1000.00	अपस्ट्रीम (टिहरी डैम) और डाउनस्ट्रीम (कोटश्वर डैम), इन्टेक और हैड रेस टनल्स (2 संख्या) टिहरी स्टेज-1 कामों के साथ पहले ही पूरा करन लिया गया है। सर्ज शाफ्ट अपस्ट्रीम (2 संख्या - 140 एम.) : उत्खनन, मालबा भरण, रॉक बॉल्ट, लैटिस गिरडर सहयोग कार्य प्रगति पर है। बटरफ्लाई वाल्व चैम्बर (बीवीसी 78x10x26 एम.): 7वें और 8वें बेंच की खुदाई प्रगति में है। संचयी बेंचिंग खुदाई 10541 क्यूमे. (63%) है। पेनस्टॉक असंबली चैम्बर (पीएसी): इस्पात पसलियों के साथ, क्राउन स्लैशिंग पूरा कर लिया गया। स्थिरीकरण सहित तीसरी बेंच की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। पावर हाउस: खुदाई पूरी की गई। टीआरटी - 3(1151 आरएम): हेडिंग 1005 आरएम की खुदाई, बेंचिंग 624 आरएम, इनवर्ट लाइनिंग - 150 एम., ओवर्ट लाइनिंग 130 एम. पूरा हो गया है। टीआरटी-4 (1255 आरएम): हेडिंग-967 आरएम, बेंचिंग-920 आरएम, इनवर्ट लाइनिंग-354 एम. और ओवर्ट लाइनिंग 244 एम. पूरा हो गया है। ईएंडएम कार्य: विनिर्माण और आपूर्ति कार्य प्रगति पर है।
33	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	444.00	दिनांक 02.04.2018 को नदी को मोड दिया गया है। कोफर बांध का विनिर्माण कार्य प्रगति पर है। टीबीएम प्लैटफार्म खुदाई हेतु विकास 95% पूरा हो चुका है। मुख्य प्रवेश सुरंग (एमएटी) 413.50 एम. : खुदाई 397.50 एम. तक पूरा हो चुका है। एचआरटी (13400 एम.): 686 एम. डीबीएम द्वारा पूरा कर लिया गया है। एडिट और अवसंरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है। डैसिल्टिंग चैम्बर्स (3 संख्या X 390 एम.) : डीसी #2 और डीसी और #3 में क्राउन

			<p>स्लैशिंग पूरा हो चुका है और डीसी #1, डीसी #2 और डीसी #3 में बैंचिंग कार्य प्रगति पर है।</p> <p>अपस्ट्रीम सर्ज शॉफ्ट : 325.5 आरएम में से 102 आरएम नीचे एडिट से अपस्ट्रीम सर्ज शॉफ्ट से खुदाई कार्य पूरा कर लिया गया है।</p> <p>डाउनस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट : 352 आरएम में से 337.1 आरएम एडिट से डाउनस्ट्रीम सर्ज टैंक बोटम से खुदाई कार्य पूरा हो चुका है।</p>
34	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	60.00	<p>31.01.2019 को नदी को मोड दिया गया है।</p> <p>डीसिल्टिंग टैंक : खुदाई - 1,35,000cum क्यूमे. में से 1,27,950 क्यूमे. पूरा कर लिया गया है।</p> <p>बैराज: 1,28,000 क्यूमे. में से 1,23,910 क्यूमे. खुदाई पूरी की गई।</p> <p>एचआरटी : 4317 एम में से 2604 एम पूरा हो चुका है।</p> <p>पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल : 45,000 क्यूमे. में से 15400 क्यूमे. खुदाई पूरी की गई।</p> <p>टीआरटी : 174 एम में से 49 एम पूर्ण।</p> <p>एचएम कार्य : दिनांक 18.04.18 को मैसर्स जीएमडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड को एलओएम जारी किया जा चुका है।</p> <p>ईएंडएम कार्य : 11.06.2018 को मैसर्स वॉइथ हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड को कार्य प्रदान किए गए।</p>
35	व्यासी (यूजेवीएनएल)	120.00	<p>सिविल कार्य:</p> <p>डैम : खुदाई कार्य पूरा हो चुका है। 3.6 लाख क्यूमे. में से 3.22 लाख क्यूमे. कंक्रीटिंग पूर्ण परिवर्तन चैनल पूरा कर लिया गया है।</p> <p>परिवर्तन चैनल : पूरा कर लिया गया है।</p> <p>हैड रेस टनल (2.7 किमी): एचआरटी की खुदाई कार्य पूरा कर लिया गया है। 2632 एम. ओवर्ट लाइनिंग 2655 एम. में से 2544 एम इनवर्ट लाइनिंग पूरा कर लिया है।</p> <p>प्रेसर शाफ्ट: 5000 क्यूमे. में से 4939 क्यूमे. की खुदाई पूरी की गई।</p> <p>सर्ज शाफ्ट : खुदाई पूरी की गई। कंक्रीटिंग-6626 क्यूमे. में से 2118 क्यूमे. पूरा कर लिया गया है।</p> <p>पावर हाउस: 270,000 क्यूमे. में से 2,58,500 क्यूमे. खुदाई पूरी की गई। 17,800 क्यूमे. में से 14498 क्यूमे. उप संरचना का कंक्रीटिंग कार्य पूर्ण। दोनों इकाइयों का ड्राफ्ट ट्यूब की स्थापना</p>
36	फाटा ब्यूंग (लैंको)	76.00	<p>बांध कंक्रीटिंग :17800/18000 क्यूमे .कंक्रीटिंग पूरी हो गई है</p> <p>पीएच :खुदाई का कार्यपूरा हो गया है और कंक्रीटिंग प्रगति पर है।</p> <p>एचआरटी :खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 1400 मी .लाइनिंग पूरी हो गई है।</p> <p>इंटेक-। एवं इंटेक-।। की खुदाई एवं लाइनिंग पूरी हो गई है।</p> <p>दबाव शॉफ्ट :खुदाई का कार्य पूरा हो गया है और लाइनिंग प्रगति पर है।</p> <p>टीआरटी :178/235 मी .खुदाई पूरी हो गई है।</p> <p>ई एंड एम कार्य :यूनिटों की पिट लाइनर को खड़े करने का कार्य पूरा हो गया है।</p> <p>ईओटी क्रेन स्थापित कर दी गई है और शुरू हो गई है।</p> <p>फैरल फैब्रिकेशन का कार्य पूरा हो गया।</p>
37	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	99.00	<p>बांध एवं तटबंध/बैरेज :खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है और 70220 क्यूमे . में से 66169 क्यूमे .का कंक्रीटिंग कार्य पूरा हो गया है।</p> <p>एचआरटी :खुदाई का कार्य पूरा हो गया है।</p> <p>11257मी .में से 11127 मी .खुली कंक्रीट लाइनिंग पूरी हो गई है।</p> <p>भीतरी लाइनिंग :11257 मी .में से 11127 मी .लाइनिंग पूरी हो गई है।</p> <p>दबाव शॉफ्ट :खुदाई कार्य पूरा हो गया है।</p> <p>पावर हाउस :खुदाई कार्य पूरा हो गया है और 29959 क्यूमे .में से 29365 क्यूमे . कंक्रीटिंग कार्य पूरा हो गया है।</p> <p>सर्ज टैंक :खुदाई कार्य पूरा हो गया है और 5349 क्यूमे .में से411 . 93क्यूमे . कंक्रीटिंग कार्य पूरा हो गया है।</p>

			ई एंड एम कार्य :यूनिट# 1एवं यूनिट#3 की बोक्सिंग अप पूरी हो गई है। यूनिट#2 की बोक्सिंग अप प्रगति पर है।
	पश्चिम बंगाल		
38	रम्माम-III (एनटीपीसी)	120.00	नदी विपथन का पहला चरण23 .03. 2016को किया गया। बैरेज की खुदाई का पहला चरण पूरा हो गया है और राफ्ट की कंक्रीटिंग प्रगति पर है। इंटेक स्ट्रक्चर 1 एवं2 : खुदाई कार्य पूरा हो गया है, एसएफटी खुदाई प्रतिशत 20 पूरी हो गई है। एचआरटी की खुदाई हो चुकी है। प्रतिशत पूरी 11 डीसिल्टिंग चैम्बर की खुदाई पूरी हो चुकी है। सर्ज शॉफ्ट :72 प्रतिशत खुदाई पूरी हो चुकी है। दबाव शॉफ्ट :32 प्रतिशत खुदाई पूरी हो चुकी है। पॉवर हाऊस :94 प्रतिशत खुदाई पूरी हो चुकी है। टीआरसी :84 प्रतिशत खुदाई और गई है। प्रतिशत कंक्रीटिंग पूरी हो 95 स्विचयार्ड खुदाई एवं भराई का कार्य पूरा हो गया है। :
	कुल जोड़	12973.50	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4272

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

चार्जिंग हेतु अवसंरचना

4272. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर में विद्युत वाहनों की चार्जिंग के लिए अवसंरचना के लिए कोई योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने हेतु लोगों के मध्य इलेक्ट्रिक वाहनों को यथासंभव बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): जी हां। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं: विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के संदर्भ में 13.04.2018 को इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना पर स्पष्टीकरण जारी किया है कि चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना- संशोधित दिशानिर्देश एवं मानक: भारत सरकार ने, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों और पणधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना शुरू करने के लिए दिनांक 14.12.2018 को "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना-दिशानिर्देश एवं मानक" जारी किए जिन्हें बाद में 01.10.2019 को दोबारा संशोधित किया गया।

(iii) ग्रिड कनेक्टिविटी तथा सुरक्षा विनियम: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सीईए के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन जारी किए हैं;

1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजनों के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2019।
2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधी उपाय) संशोधन विनियम, 2019।

(iv) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना में सरलीकरण लाने के लिए भवन उपनियम तथा शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण में निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:

(क) इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना के लिए मॉडल निर्माण उप-नियम (एमबीबीएल-2016) में संशोधन।

(ख) इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के लिए शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण एवं कार्यान्वयन दिशानिर्देश (यूआरडीपीएफआई-2014) में संशोधन।

(v) ईईएसएल और एनटीपीसी ने विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित किए हैं। ईईएसएल ने देशभर में विभिन्न शहरों में 68 पीसीएस स्थापित किए हैं जबकि एनटीपीसी ने 72 पीसीएस स्थापित किए हैं।

(ग): सरकार इलैक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अंगीकृत करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दे रही है। कुछ प्रोत्साहन निम्नानुसार है:

(i) भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), भारत सरकार ने नेशनल इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 शुरू किया है, जो देश में इलैक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अंगीकरण और उनके निर्माण के लिए विजन एवं रोडमैप प्रदान करता है। यह प्लान राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा बढ़ाने, सस्ते एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने और भारतीय ऑटोमेटिव उद्योग को वैश्विक निर्माण नेतृत्व हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए निरूपित किया गया है।

(ii) फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ (हाईब्रिड एंड) इलैक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम-इंडिया) के चरण-1 के अंतर्गत, भारी उद्योग विभाग ने बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर जैसे शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगभग 43 करोड़ रुपये से 500 चार्जिंग स्टेशन/अवसंरचनाएं संस्वीकृत की हैं।

(iii) फेम-इंडिया स्कीम का चरण-1। सार्वजनिक एवं साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर संकेंद्रित है और इसका उद्देश्य प्रोत्साहनों के माध्यम से लगभग 7,000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55,000 ई-चारपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की सहायता करना है। इसके अतिरिक्त, विद्युत वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच उभर रही चिंता को देखते हुए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण को सहयोग भी दिया जाएगा। स्कीम में वर्ष 2019-22 के लिए इलैक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। फेम-इंडिया स्कीम के चरण-1। के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग ने अब तक 24 राज्यों के 62 शहरों में (लगभग) 500 करोड़ रुपये की राशि से 2,636 ईवी चार्जिंग स्टेशन संस्वीकृत किए हैं।

(iv) इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपाय:

- ✓ इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- ✓ इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर देय ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट।
- ✓ इलैक्ट्रिक वाहनों में अनन्य रूप से उपयोग किए गए पुर्जों (ई-ड्राइव असेम्बली, ऑन-बोर्ड चार्जर, ई-कम्प्रेसर और चार्जिंग गन) पर सीमा शुल्क में छूट।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4273

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

तमिलनाडु में बिजली परियोजनाएं

4273. श्री एस. ज्ञानतिराविचमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु में आरंभ की गई विद्युत परियोजनाओं का उनकी क्षमता सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में प्रस्तावित ग्रीन पावर कॉरीडोर की स्थिति क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में अंतर-राज्यीय पारेषण योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में 11,385 मेगावाट की कुल क्षमता वाली विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : तमिलनाडु में सब-स्टेशनों और पारेषण लाइनों के लिए विद्यमान/निर्माणाधीन हरित ऊर्जा कोरिडोर (जीईसी) परियोजनाओं की स्थिति क्रमशः **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** में दी गई है। इसके अलावा, वर्ष, 2020-22 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता के एकीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए, तमिलनाडु में 3 गीगावाट संभावित आरई क्षमता को अभिनिर्धारित किया गया है। तमिलनाडु से अभिनिर्धारित संभावित आरई विद्युत की निकासी हेतु निम्नलिखित पारेषण स्कीमों की पहचान की गई है:-

(i) करूर पवन ऊर्जा क्षेत्र (डब्ल्यूईजेड):

- 2500 एमवीए की स्थापना, 400/230केवी करूर पूर्लिंग स्टेशन।
- पुगालुर का एलओएलओ-करूर पूर्लिंग स्टेशन में पुगालुर एचवीडीसी केवीडी/सी (क्वाड) लाइन।

(ii) तूतिकोरिन/तिरुनेलवेली पवन ऊर्जा क्षेत्र (डब्ल्यूईजेड):

- 500 एमवीए का संवर्धन, तूतिकोरिन-II सब स्टेशन स्थित 400/230 केवी आईसीटी।
- तूतिकोरिन-धर्मपुरी (सालेम न्यु)-मधुगिरि-नरेन्द्र 765 केवी पारेषण कोरिडोर (वर्तमान में 400 केवी की अपनी रेटिड वोल्टज स्तर पर काम कर रहा है) का उन्नयन।

इसके अतिरिक्त, विद्युत प्रणाली योजना दक्षिणी क्षेत्र पर स्थायी समिति ने तमिलनाडु के कडलाडी-कमुथी 400 केवी अंतर राज्यीय डीसी पारेषण लाइन को अनुमति दी है।

(ग) : तमिलनाडु में कार्यान्वयन के अधीन अंतर राज्यीय पारेषण स्कीमों की स्थिति **अनुबंध-IV** में दी गई है।

लोक सभा में 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4273 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

तमिलनाडु में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ईंधन	यूनिट नं.	क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय क्षेत्र				
1	नेवेली न्यू टीपीपी	थर्मल	यू-2	500
2	पीएफबीआर (कलपक्कम) / भाविनी	न्यूक्लियर	यू-1	500
3	कुडानकुलम न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट	न्यूक्लियर	यू-3 to यू-5	3000
राज्य क्षेत्र				
1	एन्नोर ईएक्सपी. एससीटीपीपी	थर्मल	यू-1	660
2	एन्नोर एससीटीपीपी	थर्मल	यू-1	660
3	एन्नोर एससीटीपीपी	थर्मल	यू-2	660
4	नोर्थ चैन्नई टीपीपी स्टेज-III	थर्मल	यू-1	800
5	उप्पुर एससीटीपीपी	थर्मल	यू-1	800
6	उप्पुर एससीटीपीपी	थर्मल	यू-2	800
7	उडानगुडी एसटीपीपी स्टेज I	थर्मल	यू-1	660
8	उडानगुडी एसटीपीपी स्टेज I	थर्मल	यू-2	660
9	कुडाह पंच स्टोरे (फेज-I, II एवं III)	हाइड्रो	यू-1 to यू-4	500
निजी क्षेत्र				
1	तुतिकोरन टीपीपी स्टेज-IV	थर्मल	यू-1	525
2	तुतिकोरन एसटीपीएस	थर्मल	यू-1	660

लोक सभा में 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4273 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

तमिलनाडु में मौजूदा/कार्यान्वयनाधीन जीईसी परियोजनाओं की स्थिति (पारेषण लाइनें)

हरित ऊर्जा कॉरिडोर- I

क्र.सं.	पारेषण लाइन का नाम	निष्पादनकर्ता एजेंसी	सीकेटीएस [एकल सर्किट (एस/सी) एवं डबल सर्किट (डी/सी)]	वोल्टेज स्तर (केवी)	कुल लंबाई (सीकेएम)	29.02.2020 की स्थिति के अनुसार पारेषण लाइनों की प्रगति की स्थिति				लक्ष्य तारीख		अभ्युक्तियां
						कुल स्थल (सं.)	पूर्ण नींव कार्य (सं.)	खड़े किए गए टॉवर (सं.)	तार लगाने का कार्य पूरा (सीकेएम)	अनुसूचित	संशोधित/प्रत्याशित	
1	कायथार-थेरनमपट्टी	टेनट्रांस्को	डी/सी	400	48	76	76	76	48	जुलाई-18	मई-19	शुरू किया गया 05/2019
2	आरासूर (पीजीसीआईएल) - गोबी एस/एस	टेनट्रांस्को	एस/सी	230	48	192	192	192	48	सितम्बर-16	मई-18	शुरू किया गया 31/12/2018
3	कायथार-तूतिकोरिन एस/एस	टेनट्रांस्को	डी/सी	230	113	230	230	230	113	दिसम्बर-16	जुलाई -18	शुरू किया गया 20.8.2018
4	वीरनम - कोडिकुरिच्चि	टेनट्रांस्को	एस/सी	220	24	86	86	86	24	सितम्बर-16	मार्च-18	शुरू किया गया 20.02.2018
5	वीरनम - तिरुनेलवेली	टेनट्रांस्को	एस/सी पर डी/सी	230	31	11	11	11	31	सितम्बर-16	दिसम्बर-17	शुरू किया गया 22.12.2017
6	कुडल्लूर-वीरपुरम (एसपी कोइल) वया नेयवेली	टेनट्रांस्को	डी/सी	230	348	706	699	699	339	सितम्बर-16	मार्च-20	निर्माणाधीन
7	इंगूर-आरासूर (पीजीसीआईएल)	टेनट्रांस्को	एस/सी	230	54	228	226	218	32	सितम्बर-16	मार्च-20	निर्माणाधीन
8	रासिपालयम धर्मपुरी (पलवाड़ी)	टेनट्रांस्को	डी/सी	400	390	564	560	554	250	जून-17	दिसम्बर-20	निर्माणाधीन
हरित ऊर्जा कॉरिडोर- I आईएसटीएस												
1	तिरुनेलवेली पीएस/तूतिकोरिन-II- तूतिकोरिन पीएस (क्वार्ट) लाइन-1	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	24	33	33	33	24	अप्रैल-17	मार्च-18	शुरू किया गया 03/2018
2	तिरुनेलवेली पीएस/तूतिकोरिन-II- तूतिकोरिन पीएस (क्वार्ट) लाइन-2	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	24	34	34	34	24	अप्रैल-17	मार्च-18	शुरू किया गया 03/2018

लोक सभा में 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं. 4273 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण
तमिलनाडु में मौजूदा/कार्यान्वयनाधीन जीईसी परियोजनाओं की स्थिति (सब-स्टेशन)

जीईसी - I - आईएसटीएस

क्र.सं.	सब-स्टेशनों का नाम	निष्पादनकर्ता एजेंसी	वोल्टेज अनुपात (केवी)	क्षमता (सं. एमवीए)	सब-स्टेशन की प्रगति				लक्ष्य तारीख		अभ्युक्तियां
					अधिग्रहित भूमि (%)	पूरा किया गया सिविल कार्य (%)	प्राप्त सामग्री/उपकरण (%)	स्थापित सामग्री/उपकरण (%)	वास्तविक	संशोधित/ अनुमानित	
1	तिरुनेलवेली पूर्लिंग स्टेशन (जीआईएस)/ तूतिकोरिन- II	पीजीसीआई एल	400/230	2x500	100	100	100	100	MAR-18	जून-18	शुरू किया गया 06/18

अंतर्राज्यीय

1	थेनमपट्टी	टनट्रांसको	400/230 /110	2x315+2x200	100	100	100	100	जुलाई-17		शुरू किया गया 05.11.2019.
2	सेम्पट्टी (एयूजी.)	टनट्रांसको	230/110	3 X 160	मौजूदा एसएस	100	100	100	फरवरी-17		शुरू किया गया 07.07.2018,04.12.2018,22.02.2019
3	अनुपनकुलम (एयूजी.)	टनट्रांसको	230/110	3 X 160	मौजूदा एसएस	100	100	100	फरवरी -17		शुरू किया गया 23.02.2018,11.10.2018,25.10.2019
4	पुदुकोट्टई (एयूजी.)	टनट्रांसको	230/110	3 X 160	मौजूदा एसएस	100	100	100	फरवरी -17		शुरू किया गया 25.02.2018,19.07.2018,05.01.2019
5	कूडल्लूर (एयूजी.)	टनट्रांसको	230/110	3 X 160	मौजूदा एसएस	45	40	40	फरवरी -17	दिसम्बर-20	निर्माणाधीन
6	तिरुवन्नमलई (एयूजी.)	टनट्रांसको	230/110	3 X 160	मौजूदा एसएस	100	90	90	फरवरी -17	दिसम्बर-20	2 इकाई शुरू किया गया 14.08.2018 & 06.03.2019
7	विल्लुपुरम (एयूजी.)	टनट्रांसको	230/110	2 X 160	मौजूदा एसएस	50	50	50	फरवरी -17	जून-20	1 इकाई शुरू किया गया 27.09.2019

लोक सभा में 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4273 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

तमिलनाडु में कार्यान्वयानाधीन अंतर-राज्यीय पारेषण स्कीमों का ब्यौरा

1. **±800केवी राजगढ़-पुगालुर 6000 एमवी एचवीडीसी प्रणाली (संभावित शुरूआत- बाइपोल- (1 मार्च, 2020) और बाइपोल-II (मई, 2020)**
क. ±800केवी **रायगढ़-पुगालुर** एचवीडीसी स्टेशन
ख. ± 800केवी **रायगढ़-पुगालुर** एचवीडीसी बाइपोल लिंक- 3676 सीकेएम
2. **400 केवी एसी पुगलुर छोर पर प्रणाली सुदृढीकरण (शुरू करने की संभावित तिथि- क्रमशः मार्च, 2020 से जून, 2020)**
(क) पुगालुर एचवीडीसी - पुगलुर 400केवी (क्वाड) डी/सी लाइन - 58 केएम- (मार्च, 2020)
(ख) पुगालुर एचवीडीसी - अरसुर 400केवी (क्वाड) डी/सी लाइन - 60 सीकेएम (मार्च, 2020)
(ग) पुगालुर एचवीडीसी - तिरुवालम 400केवी (क्वाड) डी/सी लाइन - 390 केएम (जून, 2020)
(घ) पुगालुर एचवीडीसी - इडयारपालयम 400केवी (क्वाड) डी/सी लाइन - 57 केएम (जून, 2020)
(ङ) इडयारपालयम - उडुमलपेट 400केवी (क्वाड) डी/सी लाइन - 54 केएम (जून, 2020)
3. **±320केवी, पुगालुर- त्रिचूर 2000 एमडब्ल्यू वीएससी आधारित एचवीडीसी प्रणाली (शुरू करने की संभावित तिथि-1st मोनोपोल- मई, 2020 एवं 2nd मौनोपोल- जून, 2020)**
क. ±320केवी, वीएससी आधारित एचवीडीसी पुगालुर एवं त्रिचूर में टर्मिनल
ख. वीएससी आधारित एचवीडीसी पुगालुर और उत्तर त्रिचूर (केरल) के बीच लिंक - 250 केएम
4. **नेयवेली में नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टीएस-1 (प्रतिस्थापन) (एनएनटीपीएस) का 2x500 एमडब्ल्यू हेतु 314 मेगावाट का एलटीए हेतु पारेषण प्रणाली ((शुरू करने की संभावित तिथि - मार्च, 2020)**
क. एनएनटीपीएस स्विचयार्ड - अरियालुर (विल्लुपुरम) 400 केवी डी/सी लाइन - 74केएम

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4283

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत की बढ़ती मांग

4283. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जैसाकि 2018 से 2040 के बीच विद्युत की मांग में तीन गुनी वृद्धि होने का अनुमान है, सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और
- (ख) क्या सस्ती बिजली के अतिरिक्त सरकारी विद्युत संयंत्रों की अदक्षता, पारेषण में कम निवेश, बिजली की कम कीमत, वितरण कम्पनियों को अत्यधिक नुकसान, भूजल स्तर का नीचे जाना भारत के विद्युत उत्पादन क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क): केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 19वीं इलैक्ट्रिक पॉवर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा के मामले में विद्युत की मांग में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2036-37 तक 231 प्रतिशत तक और व्यस्ततम मांग के मामले में 237 प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है।

वर्ष 2018 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) के अनुसार, वर्ष 2026-27 के अंत तक अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता 6,19,066 मेगावाट प्रक्षेपित है जिसमें परम्परागत एवं नवीकरणीय दोनों स्रोतों से उत्पादन शामिल है। इस प्रक्षेपित संस्थापित उत्पादन क्षमता से 19वें इलैक्ट्रिक पॉवर सर्वे द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रक्षेपित मांग को पूरा किए जाने की संभावना है। प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है और उसी प्रकार उत्पादन मिश्र में भी बदलाव आ रहे हैं। विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत के भंडारण के संबंध में, वर्ष 2026-27 के लिए इष्टतम उत्पादन मिश्र प्रौद्योगिकी और अन्य विकास पर निर्भर करेगा।

(ख): भारत ऊर्जा की कमी वाले देश से विद्युत आधिक्य देश बन गया है। चालू वर्ष 2019-20 (फरवरी, 2020 तक) के दौरान देश की 183 गीगावाट की व्यस्ततम मांग की तुलना में विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता 369 गीगावाट है। हमने देश भर में विद्युत के स्थानान्तरण के लिए पर्याप्त पारेषण प्रणाली विकसित की है। देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र के सामने मुख्यतः विद्युत वितरण यूटिलिटियों की अधिक हानि के कारण डिस्कॉमों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण चुनौतियां आ रही हैं। डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसे विभिन्न सुधार उपाय किए हैं।

उपभोक्तों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए विद्युत टैरिफ का निर्धारण राज्य आयोगों द्वारा राज्य उत्पादन संयंत्रों से विद्युत खरीद की लागत सहित सभी लागतों पर विचार करने के बाद किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें राज्य आयोगों द्वारा निर्धारित टैरिफ पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे सकती हैं। बिजली के निरर्थक उपभोग के कारण भू-जल के क्षरण के मुद्दे को केंद्र सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति में मान्यता दी गई है। यह उपभोक्ताओं से उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को वसूलने की जरूरत को मान्यता देती है। यह प्रावधान करती है कि विद्युत की सब्सिडी दरों को खपत के पूर्व निर्धारित स्तर तक ही अनुमति दी जानी चाहिए। जिसके बाद सेवा की कार्यक्षम लागत प्रतिबिंबित करने वाले टैरिफ को उपभोक्ताओं से वसूला जाना चाहिए।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4290

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

कुड्डालोर में ताप विद्युत संयंत्र

4290. श्री टी.आर.वी.एस. रमेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की कुड्डालोर क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र खोलने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) कुड्डालोर क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र खोलने के लिए कुल कितना बजट आबंटित किया गया है; और
- (ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र खोलने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग): विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमन के पश्चात, विद्युत का उत्पादन लाइसेंस रहित कर दिया गया है और ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से तकनीकी आर्थिक मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसीआईएल) की निम्नलिखित परियोजना को कूडल्लूर में पर्यावरणिक मंजूरी दी गई है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	विकासकर्ता	प्रदान की गई पर्यावरणिक मंजूरी की तारीख
1.	प्रस्तावित ताप विद्युत स्टेशन-II (दूसरा विस्तार), मुडहनै, कुनकुरिच्ची, उत्तंगल गांव, तहसील वृद्ध्याचलम, जिला कूडल्लूर, तमिलनाडु में लिग्नाइट आधारित पिटहेड सूपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट	2x660	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	29.10.2018

ताप विद्युत स्टेशन-II (दूसरा विस्तार) परियोजना की अनुमानित परियोजना लागत 8733.49 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-4309

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

विद्यमान विद्युत उत्पादन

4309. डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यमान विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग): वर्तमान में, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 369 गीगावाट है। यह देश की लगभग 184 गीगावाट की अधिकतम विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक है। देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) देश में ताप एवं जल विद्युत संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं;

(ii) 1,700 मेगावाट की न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाएं आयोजना के अग्रिम चरण में हैं; और

(iii) सरकार का सौर, पवन, बायोमास और लघु जल विद्युत सहित नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य है; जिसमें से 86,759 मेगावाट क्षमता संस्थापित की जा चुकी है और 33,720 मेगावाट संस्थापना के अधीन है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4310

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत पारेषण के दौरान हानियां

4310. श्री जी.एस. बसवराज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संयुक्त राज्य (इनर्जी इन्फार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन) आधारित स्वतंत्र सांख्यिकीय विश्लेषकों ने यह पाया है कि भारत विश्व में विद्युत पारेषण तथा वितरण हानियों के उच्चतम स्तर वाले देशों में से एक है;
- (ख) क्या आईईए निष्कर्षों के अनुसार भारत में टी एंड डी हानियां उत्पादित विद्युत की मात्रा के 20 प्रतिशत के बराबर हैं जो कि विश्व औसत का दोगुना है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली हानियों का लगभग तीन गुणा है; और
- (ग) ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या समाधान किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): यूएस (ऊर्जा सूचना प्रशासन) संयुक्त राज्य सरकार की एक एजेंसी है और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के उनके सांख्यिकीय विश्लेषण के संबंध में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) से उपलब्ध सूचना के अनुसार, संयुक्त राज्यों (यूएस) में कलेंडर वर्ष 2016 के लिए पारेषण एवं वितरण (टी एंड डी) हानियां 5.81 प्रतिशत थी जबकि विश्व का औसत 8.64 प्रतिशत था। उदय राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2018-19 में भारत में वितरण यूटिलिटीयों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां 18.19 प्रतिशत थी।

(ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है तथा विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी की परिधि के अधीन है। अपनी प्रणाली में एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करना वितरण लाइसेंसधारकों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार राज्यों को उनकी वितरण अवसंरचना तथा प्रणालियों को सुधारने हेतु समर्थ बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों, जिसमें एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एशयोरेंस योजना (उदय) सम्मिलित है, के अंतर्गत इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्यों/यूटिलिटीयों का सहयोग कर रही है, ताकि एटी एंड सी हानियां घटायी जा सकें। आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, तकनीकी हानि घटाने के उपायों जैसे उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के निर्माण/संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, भूमिगत (यूजी) केबल, एरियल बंड (एबी) केबलों, तथा वितरण अवसंरचनाओं का सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमीकरण को सहायोग दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-4318

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

4318. श्री अनुराग शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संघ राज्यक्षेत्रों सहित भारतीय भू-भाग के अंतर्गत सभी गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) उत्तर प्रदेश में कब तक प्रीपेड मॉडल का विस्तार किए जाने की संभावना है;
- (ग) क्या सौभाग्य योजना को पुनः आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;
- (घ) उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता में वृद्धि करने तथा विद्युत की हानि को कम करने के लिए किए जा रहे आधुनिक उपार्यों एवं इस संबंध में किए गए संशोधनों के क्या परिमाणात्मक परिणाम निकले;
- (ङ) क्या उत्तर प्रदेश में बिजली बिल ऑनलाइन देने की आधुनिक प्रणाली अपनाए जाने के बावजूद बही धनात्मक नहीं होने की स्थिति में विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन किया जाता है; और
- (च) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त राज्य को क्या निदेश दिए जाएंगे?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क): राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में दिनांक 28.04.2018 तक सभी आवासित जनगणना गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

(ख): उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में अब तक लगभग 13,000 प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को संस्थापित कर दिया गया है तथा अगले तीन वर्षों में सभी उपभोक्ताओं को कवर किया जाना है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन निगरानी मापदंड आधारित जवाबदेही मैट्रिक्स शुरू किया है। फीडर स्तर के प्रबंधकों को उच्च हानि फीडरों की हानियों की निगरानी करने के लिए नामित किया गया है। चोरी रोकने के लिए ओपन कंडेक्टरों की जगह एरियल बंचड केबिलों को संस्थापित किया जा रहा है। सभी नए कनेक्शनों के लिए कवचित सेवा केबिलों को अनिवार्य कर दिया गया है।

(ङ.) और (च): उत्तर प्रदेश सरकार ने, भुगतान प्राप्त होने के तुरंत बाद धन प्राप्ति की पोस्टिंग ऑनलाइन की है। अतः ऐसे मामलों का डिस्कनेक्शन नहीं किया जाता है। यहां तक कि लाइनमैन पिछले दिन की डिस्कनेक्शन सूची अपने साथ लेकर चलते हैं क्योंकि उपभोक्ता अगर भुगतान का प्रमाण दिखाते हैं तो डिस्कनेक्शन नहीं किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4325

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाएं

4325. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित जल विद्युत, विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन जल विद्युत, विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ख) : 1067 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 4 जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) को उत्तराखण्ड में निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सहमति प्रदान की गई है। एचईपी का उनकी अनुमानित लागत के साथ विवरण अनुबंध-1 में संक्षेप में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2490 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 8 एचईपी उत्तराखण्ड में निर्माणाधीन हैं। इन एचईपी का इनकी अनुमानित लागत के साथ विवरण अनुबंध-11 में है।

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में निर्माण के लिए कोई भी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4325 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सीईए द्वारा उत्तराखंड में सहमति दी गई जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	स्कीम/निष्पादन एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.) पीएल	अभ्युक्तियां
1.	कोटलीभेल स्टेज-1ए, एनएचपीसी	195	1095.77 (12/05)	पर्यावरणीय स्वीकृति 09.05.2017 को दी गई। वन स्वीकृति-1 13.10.2011 को दी गई। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
2.	कोटलीभेल स्टेज-1बी, एनएचपीसी	320	1806.43 (12/05)	पर्यावरणीय स्वीकृति पूर्व में 14.08.2017 को दी गई जो 15.09.2010 को वापस ली गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन स्वीकृति-1 के लिए 07.07.2011 को मना किया। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
3.	अलकनंदा, जीएमआर (बद्रीनाथ एचपीजी लि.	300	1415.96	पर्यावरणीय स्वीकृति 12.03.2008 को दी गई। वन स्वीकृति-1 08.11.2011 को दी गई। वन स्वीकृति-11 09.11.2012 को दी गई। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
4.	देवसरी, एसजेवीएन लिमिटेड	252	1558.84 (06/10)	पर्यावरणीय स्वीकृति की सिफारिश 27.03.2018 को की गई। वन स्वीकृति-1 26.02.2018 को दी गई। विकासकर्ता ने सूचित किया है कि दिनांक 09.10.2018 को अधिसूचना संख्या 4009 द्वारा अधिसूचित ई-फ्लो पर विचार करते हुए परियोजना की डीपीआर संशोधनाधीन है।
	कुल	1067	5877.00	

लोक सभा में दिनांक 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4325 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

(29.02.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम/निष्पादन एजेंसी	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	लागत (करोड़ में) (कीमत स्तर)
1	तपोवन विष्णुगाड/एनटीपीसी	उत्तराखंड	520	2978.48 (03/2004)
2	लता तपोवन/एनटीपीसी*	उत्तराखंड	171	1527.00 (07/2012)
3	टिहरी पीएसएस/टीएचडीसी	उत्तराखंड	1000	1657.60 (12/2005)
4	विष्णुगाड पीपलकोटि/टीएचडीसी	उत्तराखंड	444	2491.58 (03/2008)
5	नैटवर मोरी/एसजेवीएनएल	उत्तराखंड	60	648.33 (10/2016)
6	व्यासी/यूजेवीएनएल	उत्तराखंड	120	936.23 (02/2010)
7	फाटा ब्यूंग/मैसर्स लैंको	उत्तराखंड	76	520.00 (2007)
8	सिंगोली भटवारी/एलएंडटी उत्तराखंड हाइड्रो पावर लिमिटेड	उत्तराखंड	99	666.47 (2008)
कुल			2490	11425.69

* माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन के कारण रुकी हुई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-4333

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश में बिजली

4333. श्री राजेश वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में बिजली लाइन से जुड़े/अभी तक नहीं जुड़े गांवों या घरों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन गांवों में बिजली प्रदान किए गए घरों की औसत संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अक्टूबर, 2017 तक राज्य के सभी आवासित जनगणना गांव विद्युतीकृत हैं।

इसके अलावा, दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) पोर्टल पर, उत्तर प्रदेश राज्य ने, सभी 79,80,568 इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से उत्तर प्रदेश में जिला-वार विद्युतीकृत घरों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। तत्पश्चात्, उत्तर प्रदेश राज्य ने 12,00,003 घरों की सूचना दी, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में विद्युत कनेक्शन लेने के लिए इच्छुक हो गए थे। इनमें से, 6,17,649 गैर विद्युतीकृत घरों को दिनांक 28.02.2020 तक विद्युतीकृत कर दिया गया है।

लोक सभा में 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4333 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य के अंतर्गत उत्तरप्रदेश में जिला-वार विद्युतीकृत घर

स्रोत: सौभाग्य पोर्टल

क्र. सं.	जिला	सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घर
1	लखनऊ	95801
2	देवरिया	160634
3	गाज़ियाबाद	20429
4	गोरखपुर	220984
5	वाराणसी	125380
6	इलाहाबाद	189562
7	आगरा	66261
8	सहारनपुर	115706
9	मेरठ	56776
10	जौनपुर	204482
11	आजमगढ़	179851
12	बरेली	136750
13	अलीगढ़	116897
14	फतेहपुर	144821
15	बुलंदशहर	135881
16	मुरादाबाद	130484
17	मुजफ्फरनगर	67687
18	बिजनौर	114379
19	सीतापुर	205334
20	खेरी	141143
21	प्रतापगढ़	131670
22	कुशीनगर	179254
23	उन्नाव	225645
24	हरदोई	215616
25	गाजीपुर	141070
26	रायबरेली	90357
27	महाराजगंज	143604
28	बहराइच	214472
29	बलिया	138067
30	सिद्धार्थनगर	126101
31	बस्ती	130364
32	शाहजहाँपुर	145246
33	सुल्तानपुर	116136
34	बाराबंकी	120565
35	फिरोजाबाद	79014
36	मथुरा	83798

37	फैजाबाद	102487
38	चंदौली	81047
39	गौतम बुद्ध नगर	23850
40	मिर्जापुर	131526
41	सोनभद्र	168897
42	शाहजहांपुर	100475
43	मऊ	87848
44	रामपुर	110536
45	गोंडा	158833
46	अंबेडकरनगर	57550
47	पीलीभीत	76100
48	ज्योतिबा फुले नगर	83850
49	बलरामपुर	86036
50	झांसी	56621
51	महामाया नगर	54550
52	संभल	101048
53	फर्रुखाबाद	93425
54	बागपत	24251
55	बांदा	108132
56	जालौन	92992
57	मैनपुरी	84383
58	संत कबीर नगर	95592
59	औरैया	77369
60	अमेठी	64092
61	शामली	28564
62	कन्नौज	86274
63	कानपुर देहात	93269
64	संत रविदास नगर	71777
65	हापुड़	35598
66	कानपुर नगर	73819
67	इटवा	53826
68	एटा	69973
69	हमीरपुर	64549
70	कांशीराम नगर	56224
71	चित्रकूट	89636
72	श्रावस्ती	54621
73	कौशाम्बी	64452
74	ललितपुर	63501
75	महोबा	42774
कुल		79,80,568

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4336

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में एनपीए को रोकने के लिए कदम

4336. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) को रोकने और चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत दस वर्षों में वर्ष-वार विद्युत क्षेत्र में जिन कंपनियों के विरुद्ध दिवालिया प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उनका ब्यौरा क्या है और इन प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) देश में विभिन्न बैंकों द्वारा बैंक-वार विद्युत क्षेत्र की संभावित जोखिम का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश में विद्युत क्षेत्र में विशेषकर सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में एनपीए/ऋण की वर्तमान प्रमात्रा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : दिनांक 22.03.2017 को वित्तीय सेवा विभाग ने कुल 40,130 मेगावाट के अधिकतर निजी कोयले पर आधारित 34 ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची प्रदान की थी जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा 'तनावग्रस्त' माना गया था।

जुलाई, 2018 में भारत सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) का गठन किया गया था जिसने नवंबर, 2018 में इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इस रिपोर्ट में, कोयला आपूर्ति मुद्दे, विद्युत मांग में मंद वृद्धि, डिस्कॉम के द्वारा भुगतान में विलंब, बैंक/वित्तीय संस्थानों से संबंधित मुद्दे, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आक्रामक टैरिफ, नीलाम हुई कोयला खदानों से संबंधित कानूनी मुद्दे, विनियामक तथा संविदात्मक विवाद, इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए प्रमोटर्स की अक्षमता, ढीला कार्यान्वयन तथा अन्य प्रचालनात्मक मुद्दे जैसे घटकों की पहचान, कोयला विद्युत संयंत्रों आधारित क्षेत्रों में तनाव के कारणों के रूप में की गई थी। 34 तनावग्रस्त उप-परियोजनाओं में से, 16,450 मेगावाट की क्षमता वाली 14 परियोजनाओं का पहले ही समाधान किया जा चुका है और 17,320 मेगावाट की क्षमता की 91,773 करोड़ के ऋण वाली 14 परियोजनाओं का राष्ट्रीय कम्पनी कानून प्राधिकरण (एनसीएलटी) के तहत अथवा बाहर समाधान किए जाने की संभावना है। 6,360 मेगावाट की क्षमता वाली शेष छः परियोजनाओं का समाधान होने की संभावना नहीं है तथा 26,806 करोड़ रुपये के ऋण सहित, परिसमापन की ओर बढ़ रहे हैं।

सरकार द्वारा ताप विद्युत क्षेत्रों में तनाव के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) पारदर्शी लिंकेज नीति का प्रारंभ: दिनांक 22.05.2017 को, सरकार ने ताप विद्युत क्षेत्रों को लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति नीति को प्रारंभ किया था। शक्ति नीति के अंतर्गत प्रदत्त लिंकेज हैं:

(क) शक्ति नीति पैरा ख (i): केन्द्र/राज्य क्षेत्र वर्ग के तहत कुल 25,060 मेगावाट की 23 ताप विद्युत परियोजनाओं को लिंकेज प्रदान किया गया है।

(ख) शक्ति नीति पैरा ख (ii): 9045 मेगावाट क्षमता (32.68 मीट्रिक टन) के लिए शक्ति (बिना लिंकेज की पीपीए सहित आईपीपी परियोजनाएं) के ख(ii) के पहले दौर में तथा 877.4 मेगावाट क्षमता (3.34 मीट्रिक टन) के लिए ख(ii) के दूसरे दौर के तहत कोयले के लिंकेजों का आबंटन किया गया है।

(ग) शक्ति नीति पैरा ख (iii): 5 फरवरी से 7 फरवरी 2020 के बीच बोली आयोजित की गई थी। 3775 मेगावाट (कुल 5995 मेगावाट) की क्षमता, जिसका पीपीए नहीं है, ने 6.49 मीट्रिक टन के लिए लिंकेज सुरक्षित कर लिया है।

(घ) शक्ति नीति पैरा ख (iv): 4,000 मेगावाट के लिए गुजरात राज्य को, 1600 मेगावाट के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को तथा मध्य प्रदेश राज्य को 2640 मेगावाट बिजली के लिए कोयला लिंकेज को मंजूरी दी गई है जिसे उक्त वर्णित लिंकेज के आधार पर टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बढ़ाया जाना है।

(ङ) ख (v) के तहत, एग्ग्रेटर (पीएफसी) को टैरिफ आधारित बोली लगाने की मांग को पूरा करने के लिए कोयला लिंकेज (10 एमटी) आबंटित किया गया है।

(च) शक्ति नीति पैरा ख (viii)(क): विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्य पद्धति जारी की गई। सीईए द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए। पीपीए रहित 8145 मेगावाट तथा 9,813 मेगावाट की संयंत्र क्षमता के साथ 14 बोलीदाताओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ii) 2500 मेगावाट विद्युत की संवृद्धि के लिए प्रायोगिक परियोजना: देश में विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) की कमी को संबोधित करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय ने अनपेक्षित क्षमता की कमीशन्ड परियोजना के साथ उत्पादकों से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर 2500 मेगावाट की संवृद्धि के लिए एक योजना को अधिसूचित किया था।

(क) पहला दौर (2500 मेगावाट): सभी सफल बोलीकर्ताओं (1900 मेगावाट)- को लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किया गया था- पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) दूसरा दौर (2500 मेगावाट): 6000 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 21 बोलीकर्ताओं से बोली सुरक्षा प्राप्त की गई। दिनांक 07.02.2020 को बोलियां खोली गईं। 12 बोलीकर्ता सफल रहे। 3.26 प्रति यूनिट दर से अंतिम टैरिफ प्राप्त हुआ है।

(iii) भुगतान सुरक्षा क्रियाविधि: मंत्रालय ने दिनांक 28.06.2019 को एक आदेश जारी किया था तथा तदोपरांत इस पर दिनांक 17.07.2019 को शुद्धि पत्र जारी किया। एनएलडीसी तथा आरएलडीसी को उत्पादक कम्पनी तथा वितरण कंपनियों द्वारा यह सूचित किए जाने के पश्चात् कि विद्युत की इच्छुक मात्रा के लिए लैटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोल दिया गया है, विद्युत प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इससे डिस्कॉम द्वारा उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-4340

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाएं

4340. श्री एच. वसंतकुमारः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने देशभर में ताप विद्युत/परमाणु/सौर/पन विद्युत की चालू/आने वाली परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) देशभर में ऐसी प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ होने संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) देशभर में परियोजना-वार कितनी निधि का आवंटन किया गया है; और
- (घ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर तमिलनाडु से वापस ली गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ): विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, उत्पादन एक गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि है। विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए संबंधित उत्पादकों द्वारा निवेश किया जाता है। इसलिए, भारत सरकार द्वारा, मामला-दर-मामला आधार पर ऐसी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यूनितों (सीपीएसयू) की इक्विटी में अंशदान को छोड़कर, कोई निधि संस्वीकृत/आबंटित नहीं की जाती है।

देश भर में राज्य/संघ राज्य-वार चालू तापीय, जल और नाभिकीय पॉवर परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I, अनुबंध-II, अनुबंध-III में दिया गया है। सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता का राज्य/संघ शासित राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

देशभर में वापिस ली गई परियोजनाओं की कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, तमिलनाडु सरकार द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार, तमिलनाडु में निम्नलिखित दो परियोजनाओं को रद्द करने की सूचना जारी की गई है :

- (i) मैसर्स डायनामाईज सोलर (प्राइवेट) लिमिटेड, रामनाड (5 मेगावाट) - रद्द करने का नोटिस 18.02.2019 को जारी किया गया।
- (ii) मैसर्स उथायासूरियन, तूतीकोरिन (1 मेगावाट) - रद्द करने का नोटिस 31.10.2019 को जारी किया गया।

दिनांक 19.03.2020 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं. 4340 के उत्तर भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

देश में निर्माणाधीन स्वीकृत लागत सहित ताप विद्युत परियोजनाओं को ब्यौरा

क्रम कसं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)	शुरू करने की प्रस्तावित तिथि	प्रस्तावित लागत (करोड़)
केंद्रीय क्षेत्र						
1	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	बिहार	660	अप्रैल-20	21312.1
		यू-2		660	अप्रैल-21	
		यू-3		660	मई-22	
2	नवी नगर टीपीपी	यू-4	बिहार	250	अप्रैल-20	9996.59
3	न्यू नवी नगर टीपीपी	यू-2	बिहार	660	अप्रैल-20	17304.3
		यू-3		660	मार्च-22	
4	नॉर्थ करनपुरा	यू-1	झारखंड	660	अक्टूबर-20	15164.05
		यू-2		660	अक्टूबर-21	
		यू-3		660	मार्च-22	
5	गादरवाड़ा एसटीपीपी	यू-2	मध्य प्रदेश	800	जनवरी-20	12865.92
6	खरगोन एसटीपीपी	यू-2	मध्य प्रदेश	660	मार्च-20	11148.86
7	दरलीपल्ली एसटीपीपी	यू-2	ओडिशा	800	जून-20	13740.53
8	नेय्येली न्यू टीपीपी	यू-2	तमिलनाडु	500	मार्च-20	5907.11
9	तेलंगाना एसटीपीपी चरण- I	यू-1	तेलंगाना	800	जुलाई-20	11811
		यू-2		800	जुलाई-21	
10	लारा एसटीपीपी	यू-2	छत्तीसगढ़	800	जनवरी-20	12739.82
11	मेजा एसटीपीपी	यू-2	उत्तर प्रदेश	660	जून-20	12176.28
12	टांडा टीपीपी चरण II	यू-6	उत्तर प्रदेश	660	अप्रैल-20	10016.1
13	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	उत्तर प्रदेश	660	फरवरी-22	17237.8
		यू-2		660	फरवरी-23	
		यू-3		660	अगस्त-23	
14	बारसिंगार टीपीपी एक्सटेंशन	यू-1	राजस्थान	250	अप्रैल-23	2112.59
15	बिथनोक टीपीपी	यू-1	राजस्थान	250	सितंबर-23	2196.3
16	पत्रातु एसटीपीपी	यू-1	झारखंड	800	मई-22	17113
		यू-2		800	सितंबर-22	
		यू-3		800	दिसंबर-22	
17	राउरकेला पीपी -II एक्सपेंशन	यू-1	ओडिशा	250	अप्रैल-22	1885.13
18	खुरजा एससीपीपी	यू-1	उत्तर प्रदेश	660	अप्रैल-23	11089.42
		यू-2		660	सितंबर-23	
19	बक्सर टीपीपी	यू-1	बिहार	660	जुलाई-23	10439.09
		यू-2		660	जनवरी-24	
राज्य क्षेत्र						
1	नामरूप सीसीजीटी	ST	असम	36.15	जनवरी-20	693.73
2	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस चरण-V	यू-1	आंध्र प्रदेश	800	फरवरी-20	5286.54
3	श्री दामोदरन संजीवाय टीपीपी चरण-II	यू-1	आंध्र प्रदेश	800	सितंबर-20	6034
4	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-7	राजस्थान	660	जनवरी-20	9161.35
		यू-8		660	सितंबर-20	
5	भद्रादी टीपीपी	यू-1	तेलंगाना	270	मार्च-20	8536.98
		यू-2		270	सितंबर-20	

		यू-3		270	मार्च-21	
		यू-4		270	मार्च-22	
6	एनोर एक्सप. एससीटीपीपी (लैंको)	यू-1	तमिलनाडु	660	जून-23	5421.38
7	एनोर एससीटीपीपी	यू-1	तमिलनाडु	660	मई-22	9800
		यू-2		660	जुलाई-22	
8	नॉर्थ चैन्नई टीपीपी चरण-III	यू-1	तमिलनाडु	800	सितंबर-20	6376
9	उप्पुर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	तमिलनाडु	800	अप्रैल-22	12778
		यू-2		800	अगस्त-22	
10	हरदुआगंज टीपीएस एक्स.-II	यू-1	उत्तर प्रदेश	660	अप्रैल-20	5500.98
11	येलहंका सीसीपीपी	GT+ST	कर्नाटक	370	जनवरी-20	1571.18
12	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	उत्तर प्रदेश	660	दिसंबर-21	10566.27
		यू-2		660	अप्रैल-22	
13	ओबरा-सी एसटीपीपी	यू-1	उत्तर प्रदेश	660	मार्च-22	10416
		यू-2		660	अप्रैल-22	
14	यदाद्री टीपीएस	यू-1	तेलंगाना	800	सितंबर-22	29965
		यू-2		800	अक्टूबर-22	
		यू-3		800	मार्च-23	
		यू-4		800	मार्च-23	
		यू-5		800	सितंबर-23	
15	पनकी टीपीएस एक्सटेंशन	यू-1	उत्तर प्रदेश	660	सितंबर-23	NA
16	उडानगुड़ी एसटीपीपी चरण-I	यू-1	तमिलनाडु	660	अप्रैल-22	NA
		यू-2		660	जुलाई-22	NA
17	भुसावल टीपीएस	यू-6	महाराष्ट्र	660	नवंबर-22	NA
निजी क्षेत्र						
1	भावनापाडु टीपीपी फेज -I	यू-1	आंध्र प्रदेश	660	-	9343.15
		यू-2		660	-	
2	थम्मिनापटनम टीपीपी चरण - II	यू-3	आंध्र प्रदेश	350	दिसंबर-20	5005
		यू-4		350	मार्च-21	
3	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-4	छत्तीसगढ़	600	अप्रैल-23	27080
		यू-5		600	-	
		यू-6		600	-	
4	सिरिया टीपीपी(जस इंफ्रा टीपीपी)	यू-1	छत्तीसगढ़	660	-	11120
		यू-2		660	-	
		यू-3		660	-	
		यू-4		660	-	
5	बिनिकोटी टीपीपी	यू-3	छत्तीसगढ़	300	-	7940
		यू-4		300	-	
6	लैंको अमरकंटक टीपीपी -II	यू-3	छत्तीसगढ़	660	-	10815.24
		यू-4		660	-	
7	सिंघीतराई टीपीपी	यू-1	छत्तीसगढ़	600	-	8443.79
		यू-2		600	-	
8	सलोरा टीपीपी	यू-2	छत्तीसगढ़	135	-	1458.44
9	दीवेरी (विजा) टीपीपी	यू-1	छत्तीसगढ़	600	-	3930
10	मिन्नीश्री ऊषा टीपीपी फेज-I	यू-1	झारखंड	270	-	2900
		यू-2		270	-	
11	मिन्नीश्री ऊषा टीपीपी फेज -II	यू-3	झारखंड	270	-	3182
		यू-4		270	-	

12	तोरी टीपीपी फेज -I	यू-1	झारखंड	600	-	5700
		यू-2		600	-	
13	तोरी टीपीपी फेज -II	यू-3	झारखंड	600	-	2500
14	अमरावती टीपीपी फेज -II	यू-1	महाराष्ट्र	270	-	6646
		यू-2		270	-	
		यू-3		270	-	
		यू-4		270	-	
		यू-5		270	-	
15	लेंको विदर्भ टीपीपी	यू-1	महाराष्ट्र	660	-	10433
		यू-2		660	-	
16	नासिक टीपीपी फेज -II	यू-1	महाराष्ट्र	270	-	6789
		यू-2		270	-	
		यू-3		270	-	
		यू-4		270	-	
		यू-5		270	-	
17	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	महाराष्ट्र	300	-	3450
		यू-2		300	-	
18	शीरपुर टीपीपी	यू-2	महाराष्ट्र	150	जुलाई-23	2413
19	गोरगी टीपीपी	यू-1	मध्य प्रदेश	660	-	3941
20	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	ओडिशा	350	जून-23	4001
21	केवीके निलांचल टीपीपी	यू-1	ओडिशा	350	-	6000
		यू-2		350	-	
		यू-3		350	-	
22	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	ओडिशा	660	-	10430
		यू-2		660	-	
23	मलिब्रहमणि टीपीपी	यू-1	ओडिशा	525	-	6330
		यू-2		525	-	
24	तूतीकोरिन टीपीपी(इंड बराथ)	यू-1	तमिलनाडु	660	-	3595
25	तूतीकोरिन टीपीपी चरण -IV	यू-1	तमिलनाडु	525	सितंबर-21	3514
26	हिरनमई एनर्जी लिमिटेड (इंडिया पावर कॉर्पोरेशन (हल्दिया) टीपीपी	यू-3	पश्चिम बंगाल	150	सितंबर-23	3307

दिनांक 19.03.2020 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं. 4340 के उत्तर भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

शुरू करने की तारीख और परियोजना लागत सहित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्रम कसं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)	शुरू करने की प्रस्तावित तिथि	प्रस्तावित लागत (करोड़)
केंद्रीय क्षेत्र						
1	पाकल दुल 4x250= 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	जम्मू एवं कश्मीर	1000	2024-25	8112.12
2	किरू 4x156=624 मेगावाट	यू-1 से यू-4	जम्मू एवं कश्मीर	624	2023-24	4287.59
3	पार्वती चरण St. II 4x200= 800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश	800	2021-22	3919.59
4	सुबानसिरी लोवर 8x250= 2000 मेगावाट	यू-1 से यू-8	अरुणाचल प्रदेश	2000	2023-24	6285
5	तीस्ता - VI 4x125= 500 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम	500	2023-24	5748.04
6	तपोवन विष्णुगढ़ 4x130=520 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड	520	2021-22	2978.48
7	रम्माम III 3x40=120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	पश्चिम बंगाल	120	2022-23	1381.84
8	लता तपोवन 3x57= 171 मेगावाट	यू-1 से यू-3	उत्तराखंड	171	2023-24 *	1527
9	टिहरी पीएसएस 4x250= 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड	1000	2021-23	1657.6
10	विष्णुगढ़ पीपलकोटी 4x111= 444 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड	444	2022-23	2491.58
11	कमैंग 4x150= 600 मेगावाट (2 यूनिटें ऑपरेशन में ली गईं)	यू-3 से यू-4	अरुणाचल प्रदेश	300	2019-21	2496.9
12	नैतवार मोरी 2x30=60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	उत्तराखंड	60	2021-22	648.33
13	रातले # 4x205+1x30= 850 मेगावाट	यू-1 से यू-5	जम्मू एवं कश्मीर	850	2023-24 *	5517.02
राज्य क्षेत्र						
14	परनाई 3x12.5= 37.5 मेगावाट	यू-1 से यू-3	जम्मू एवं कश्मीर	37.5	2021-22	640.86
15	लोवर कलनाई 2x24= 48 मेगावाट	यू-1 से यू-2	जम्मू एवं कश्मीर	48	2023-24 *	577

16	शाहपुरकांडी 3x33+3x33+1x8= 206 मेगावाट	यू-1 से यू-7	पंजाब	206	2022-23	1835.5
17	यूएचएल-III 3x33.33= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश	100	2019-20	431.56
18	सावरा कुड्डु 3x37= 111 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश	111	2020-21	558.53
19	शौंगटोंग करचम 3x150= 450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश	450	2023-25	2807.83
20	व्यासी 2X60=120 मेगावाट	यू- 1 एवं यू- 2	उत्तराखंड	120	2020-21	936.23
21	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40= 80 मेगावाट	यू-1 से यू-2	महाराष्ट्र	80	2022-23 *	245.02
22	पोलवरम 12x80= 960 मेगावाट	यू-1 से यू-12	आंध्र प्रदेश	960	2021-23	3013.68
23	पल्लीवासल 2x30= 60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल	60	2021-22	283.19
24	थोटियार 1x30 + 1x10= 40 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल	40	2020-21	145.47
25	कुंदाह पम्पड स्टोरेज (फेज-I, फेज-II एवं फेज-III) 4x125= 500 मेगावाट	यू-1 से यू-4	तमिलनाडु	500	2022-23	488
निजी क्षेत्र						
26	सोरंग 2x50= 100 मेगावाट	यू-1 एवं यू-2	हिमाचल प्रदेश	100	2020-21	586
27	तांगनू रोमई- I 2x22= 44 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश	44	2022-23 *	255
28	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश	180	2020-21	1696.93
29	टिडोंग-I 2x50= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश	100	2021-22	940
30	फाटा ब्युंग 2x38= 76 मेगावाट	यू-1 से यू-2	उत्तराखंड	76	2021-22*	520
31	सिंगोली भाटवारी 3x33= 99 मेगावाट	यू-1 से यू-3	उत्तराखंड	99	2020-21	666.47
32	महेश्वर ## 10x40= 400 मेगावाट	यू-1 से यू- 10	मध्य प्रदेश	400	2020-22 *	1569.27
33	रंगित-IV 3x40= 120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	सिक्किम	120	2022-23 *	726.16
34	भामसे 2x25.5= 51 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम	51	2022-23 *	408.5
35	रंगित-II	यू-1 से	सिक्किम	66	2022-23 *	496.44

	2x33= 66 मेगावाट	यू-2				
36	रॉगनिचु 2x48= 96 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम	96	2020-21	491.32
37	पानन 4x75= 300 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम	300	2023-24 *	1833.05
38	कुटेहर 3x80= 240 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश	240	2024-25	1798.13

* कार्यो को पुनः शुरू करने के संदर्भ में

सीआईआरएस:- केंद्रीय भारत नदी प्रणाली; ईएफआर:- पूर्वी नदियों का बहाव; डब्ल्यूएफआर:-पश्चिमी नदियों का बहाव।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार, पीडीडी ने पीपीए को दिनांक 9.2.2017 को निष्कासित किया और जेकेएसपीडीसी को परियोजना को चलाने का निर्देश दिया। एनएचपीसी (51% हिस्सा) और जेकेएसपीडीसी (49% हिस्सा) के साथ 03.02.2019 को संयुक्त उद्यम तरीके से परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

दिनांक 1 जून, 2016 से मुख्य ऋणदाता के रूप में पीएफसी ने एसएमएचपीसीएल के बहुमत इक्विटी को हासिल किया है। मामला विचाराधीन है।

दिनांक 19.03.2020 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4340 के उत्तर भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

निर्माणाधीन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	शुरू करने की संभावित तिथि	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र	गुजरात	1400	लागू नहीं	लागू नहीं
2	राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन	राजस्थान	1400	लागू नहीं	लागू नहीं
3	पीएफबीआर (कलपाक्कम)	तमिलनाडु	500	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (यू3 एवं 4)	तमिलनाडु	2000	लागू नहीं	लागू नहीं
5	जीएचएवीपी (यू1)	हरियाणा	700	लागू नहीं	लागू नहीं
6	कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (यू5)	तमिलनाडु	1000	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक 19.03.2020 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं. 4340 के उत्तर भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

सौर ऊर्जा के राज्य-वार संस्थापित क्षमता (29.02.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर ऊर्जा संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	3559.02
2	अरुणाचल प्रदेश	5.61
3	असम	41.23
4	बिहार	151.57
5	छत्तीसगढ़	231.35
6	गोवा	4.78
7	गुजरात	2886.16
8	हरियाणा	252.14
9	हिमाचल प्रदेश	32.93
10	जम्मू एवं कश्मीर	19.30
11	झारखंड	38.40
12	कर्नाटक	7277.93
13	केरल	142.23
14	मध्य प्रदेश	2258.46
15	महाराष्ट्र	1801.80
16	मणिपुर	5.16
17	मेघालय	0.12
18	मिजोरम	1.52
19	नागालैंड	1.00
20	ओडिशा	397.84
21	पंजाब	947.10
22	राजस्थान	5035.08
23	सिक्किम	0.07
24	तमिलनाडु	3915.88
25	तेलंगाना	3620.75
26	त्रिपुरा	9.41
27	उत्तर प्रदेश	1095.10
28	उत्तराखंड	315.90
29	पश्चिम बंगाल	114.46
30	अंडमान एवं निकोबार	12.19
31	चंडीगढ़	36.99
32	दादर एवं नागर हवेली	5.46
33	दमन एवं दीव	17.31
34	दिल्ली	165.16
35	लक्ष्यद्वीप	0.75
36	पुंडुचेरी	5.51

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4361

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

केरल में जल विद्युत परियोजनाएं

4361. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विशेषकर हाल ही में आई बाढ़ के बाद केरल में जल विद्युत परियोजनाओं के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण की अपेक्षा/आवश्यकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने जल विद्युत संयंत्रों के रखरखाव की बढ़ी हुई लागत को कवर करने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से और अधिक धनराशि की मांग की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : केरल में वर्ष 2018 और 2019 में बाढ़ आने के पश्चात्, 19 जल विद्युत संयंत्रों की पुनःस्थापना हेतु पुनरुद्धार कार्य किए गए हैं, जिसका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इसके अलावा, 4 जल विद्युत परियोजनाओं नामतः शोलयार (3x18 मेगावाट), इडुक्की स्टेशन-I (3x130 मेगावाट), कुट्टियाडी (3x25 मेगावाट) और इडुक्की स्टेशन-II (3x130 मेगावाट) में बाढ़ से पहले नवीकरण/आधुनिकीकरण के काम शुरू किए थे, जो वर्तमान में समाप्ति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) : केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने जल विद्युत संयंत्रों की वर्धित प्रचालन तथा रखरखाव लागत को कवर करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) से कोई निधि की मांग नहीं की है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 19.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4361 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के उत्पादन स्टेशनों का ब्यौरा जहां वर्ष 2018 और 2019 में बाढ़ के बाद पुनरुद्धार कार्य किए गए थे

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता मेगावाट में
1.	इदमलायर एचईपी	$2 \times 37.5 = 75$
2.	लोअर पेरियार पावर हाउस एचईपी	$3 \times 60 = 180$
3.	पल्लीवसल एचईपी	$3 \times 5 + 3 \times 7.5 = 37.5$
4.	उरुमी-II एसएचईपी	$3 \times 0.8 = 2.4$
5.	पोझीथोड एसएचईपी	$3 \times 1.6 = 4.8$
6.	पीएलबीई एसएचईपी	$1 \times 16 = 16$
7.	पोरिंगलकुथू	$4 \times 9 = 36$
8.	पनियर	$2 \times 16.2 = 32.4$
9.	मलमपुझा	$1 \times 2.5 = 2.5$
10.	पीची	$1 \times 1.25 = 1.25$
11.	विलनगड	$3 \times 2.5 = 7.5$
12.	चिम्मोनी	$1 \times 2.5 = 2.5$
13.	अदयनपारा	$2 \times 1.5 + 0.5 = 3.5$
14.	मदुपट्टी	$1 \times 2 = 2$
15.	चेंबुकादेवु-2	$3 \times 1.25 = 3.75$
16.	रान्नी-पेरियानडु	$2 \times 2 = 4$
17.	बारापोल	$3 \times 5 = 15$
18.	वेल्लाथूवल*	$2 \times 1.8 = 3.6$
19.	पेरूनथेनारूवी	$2 \times 3 = 6$

* पुनरुद्धार कार्य चल रहा है।
